



विवरण प्लाट मुबैया

दरोबस्त एक प्लाट पूरब व दक्षिण मुहाना पैमायशी जानिब पूरब 52 (बावन) फुट पश्चिम 53 (तिरेपन) फुट उत्तर 40 (चालीस) फुट दक्षिण 32 (बत्तीस) फुट 6 (छ.) ईच। जिसका कुल क्षेत्रफल 177.40 वर्ग मीटर है। जिसमें कोई तामीर या बुनियाद किसी प्रकार से नहीं है। मय जुमले हक हकूक बाबत प्लाट मुबैया मजकूर। क्रेतागण निर्माण करते समय जानिब पूरब व दक्षिण ही अपनी खिडकी, दरवाजे, पतनाले, रोशनदान, पानी हर किरम कायम करने के अधिकारी होगी। बकाया दो दिशाओं में नहीं।



महदूदा जैल :-
पूरब :- रास्ता
पश्चिम :- प्लाट मुक़िर
उत्तर :- प्लाट मुक़िर

महदूदा जैल

FORM No. 5

Receipt

NAGAR PANCHAYAT, NANAUTA

Book No. 370

Receipt No.

71

Demand Register No. 010

Received from विनिता लो मदन

Rupees (in words) अक्षर 010 दिनांक 2022 = 276-

On account of 218

Premises No. 218

for the period 01-04-2022 से 31-03-2025 तक

In full/part payment of demand bill No. Dated

नोट :- गृहकार/जलकार/जलमूल्य भुगतान की रसीद सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार का प्रमाण पत्र नहीं है इसका प्रयोग किसी भी न्यायालय में सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार के दावे के लिए नहीं किया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति इसका प्रयोग इस उद्देश्य में करता है तो यह स्वयं उत्तरदायी होगा।

Rs 276-

Dated 04/04/25

Cashier

Accountant

Executive Officer/Secretary

Robina Tax Collector

Clerk Incharge of Demand and Collection Register Tax Superintendent

FORM No. 5
Receipt
NAGAR PANCHAYAT, NANAUTA

Book No. **370** Receipt No. **72**

Demand Register No. **बिनामा W/O जितेंद्र अमी**

Received from **सुभा अमी अमी अमी अमी = 720-**

Rupees (in words) **सत्तर**

On account of **बिना अमी = 161**

Premises No. **मी अमी अमी**

for the period **01-04-22 अमी 31-03-2024 अमी**

In full/part payment of demand bill No. _____ Dated _____

नोट :- गृहकर/जलकर/जलमूल्य भुगतान की रसीद सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार का प्रमाण पत्र नहीं हैं इसका प्रयोग किसी भी न्यायालय में सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार के दावे के लिए नहीं किया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति इसका प्रयोग इस उद्देश्य में करता है तो यह स्वयं उत्तरदायी होगा।

Rs. **720-**

Dated **04-04-25**

Cashier _____

Accountant _____

Executive Officer/Secretary
Rohman
Tax Collector
Clerk Incharge of Demand
and Collection Register
Tax Superintendent

170

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपयेTEN
RUPEES

10

Rs.



INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

89AE 076010

शपथ पत्र

समक्ष:- सक्षम अधिकारी जनपद सहारनपुर।

शपथ पत्र और से:- डा० इमरान अहमद पुत्र/पत्नी श्री स्व अनवार अहमद निवासी मोहल्ला छत्ता बगला कस्बा थानाभवन तहसील शामली जिला शामली।

शपथकर्ता शपथपूर्वक ब्यान करता है:-

1. यह की मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही है।
2. यह की मेरा मकान/दुकान/प्लाट दिल्ली रोड पर स्थित खसरा नंबर 1578 मे स्थित है।
3. यह की मेरे द्वारा दिल्ली रोड पर स्थित माकन/दुकान/प्लाट दिनांक को पुत्र से क्रय किया गया था। जिसका बैनामा मेरे पास उपलब्ध है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
4. यह कि मैं पिछले वर्षों से अपने मकान/दुकान पर काबिज हु। जब से मे अपने मकान / दुकान पर काबिज हु तब से यह भूमि समतल है और इस भूमि पर क्रय विक्रय हो रहे है।
5. यह की मे अपनी दुकान की रसीद समय अनुसार कट व रहा हु उक्त दुकान मे डेंटल क्लिनिक का कार्य करता हु।

यह की शपथ पत्र का पैरा 01 ता 05 सब सच व सही है मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर सच बोलने मे मेरी मदद करे।

Sworn & Verified before Me
Reg. No-54923/25

दिनांक:-

GULSHAN KUMAR

Advocate & Notary

Civil Court, Saharanpur (U.P.)

IDENTIFIED BY

Imran Ahmad

ह० शपथकर्ता

Imran Ahmad

इकरार नामा माहदा बैय

M SALEEM

109

Munshi Advocate
Civil Court District (SRE.)

हम कि जयदाद जैल निदेशी वीरिन श्री रोमानन्द आति तारार निवासी मीरवाला
महाराजगान परबरा नामीवा परबरा रातपुर तहसील देवनागर जिला तारारमु
प्रथमपक्ष व जयदाद जैल अहमद पुत्र श्री स्व. जयदाद जैल आति जय वीर
निवासी मीरवाला परबरा जिला थानाभवन तहसील देवनागर जिला मुनफारन
द्वितीयपक्ष है।

श्री. शक्ति शर्मा
 श्री. शक्ति शर्मा

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी व अधिकारी प्रथम पक्ष है। जो हर प्रकार के ऋण परिवर्तन आदि के भार/रहन से मुक्त व स्वच्छ है। जायदाद जैल पूर्ण रूप से प्रथम पक्ष के कब्जे व अधिकार में है जिसके हस्तांतरण आदि करने के प्रथम पक्ष को कुल अधिकार प्राप्त है। जायदाद जैल की बाबत प्रथम पक्ष ने आज की तारीख से पहले इकरार नामा माहदा बैय जुबानी या तहरीरी या किसी प्रकार का हस्तान्तरण आदि किसी भी दीगर शख्स के हक में नहीं कर रखा है, अतः प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित सम्पत्ति का सौदा फरोखती मुबलिय 85000/- (पचास हजार रुपये)

रु० जिसके आधे 42500/- तथा बिल आरमांघ से रुपये

होने हैं, में आज की तारीख में द्वितीय पक्ष के साथ शरायत जैल पर तय किया है और द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से जायदाद निम्नलिखित शरायत जैल पर खरीदनी स्वीकार की है, अतः हम दोनों पक्ष व हमारे स्थानापन्न एवं उत्तराधिकारी शरायत जैल के पाबन्द रहेंगे।

१- यह कि मुझे प्रथम पक्ष ने मुबलिय 15000/- (पंद्रह हजार रुपये) रु०)

वतीर व्याना निम्नलिखित तौर पर द्वितीय पक्ष से प्राप्त किये और द्वितीय पक्ष ने अदा किये।

२- यह कि बैनामा रजिस्ट्री आदि का व्यय खरोदार के जिम्मे रहेगा।

३- यह कि प्रथम पक्ष निम्न सम्पत्ति का बैनामा आज की तिथि से अन्दर मियाद 31-10-1998 तक बढ़क द्वितीय पक्ष

या वह जिसके नाम पर अपनी स्वेच्छा से चाहेगा तहरीर व तक्मील कराकर बिना किसी उच्च के रजिस्ट्री करा देगा और शेष 70000/- (सत्तर हजार रुपये) रु०) समय रजिस्ट्री बैनामा प्राप्त कर लेगा।

४- यह कि मैं प्रथम पक्ष तामियाद इकरार नामा हाजा जायदाद जैल का किसी प्रकार से कोई हस्तान्तरण आदि किसी अन्य शख्स के हक में नहीं करूंगा और न जायदाद जैल पर कोई सरकारी या गैट सरकारी ऋण लूंगा यदि ऐसी कोई कार्यवाही साबित होगी तो वह कुल कार्यवाही बमुकाबले दस्तावेज हाजा नाजायज व झूठी होगी।

५- यह कि यदि द्वितीय पक्ष ने हस्व शरायत इकरारनामा हाजा उक्त अवधि तक जायदाद जैल का बैनामा न कराया तो बाद गुजरने मियाद उक्त द्वितीय पक्ष का जरे व्याना जब्त समझा जायेगा।

६- यह कि यदि प्रथम पक्ष हस्व शरायत इकरारनामा हाजा जायदाद जैल का बैनामा करने से कायिर रहे तो द्वितीय पक्ष को हक प्राप्त होगा कि वह न्यायालय द्वारा तक्मील माहदा बैय की कार्यवाही अमल में लाकर जायदाद जैल बैय करा ले और बकाया रकम दाखिल अदालत कर दे, ऐसा करने से जिस कदर भी हर्जा व खर्चा द्वितीय पक्ष का होगा उसकी अदा करने की तमाम जिम्मेदारी मुझे प्रथम पक्ष की जात खास व जायदाद हर किस्म पर होगी।

७- यह कि जायदाद जैल पर कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया है।

८- यह कि जायदाद जैल को विक्रय करने के लिये किसी अनुमति या अनापत्ती प्रमाण पत्र की आवश्यकता पडती है तो वह प्रथम पक्ष अन्दर मियाद अपने खर्च से हस्व जाब्ता प्राप्त करेगा।

अतः यह इकरार नामा माहदा बैय दोनों पक्षों ने अपने-अपने स्वस्थ, मस्तिष्क व इन्द्रियां स्थिर बद्ध एवं स्वेच्छा से बिना किसी दबाव नाजायज के लिख दिया कि प्रमाण रहे इति।

विवरण प्राप्त जरे व्याना मजकूर— कुल धानासु 15000/- परे प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष

के हस्तान्तरण रजिस्ट्री करवा प्राप्त करेगी।

विवरण सम्पत्ति जिसका माहदा बैय किया गया है स्थित— मीरवाला जयदाद जैल निदेशी-
रातपुर रोड परबरा नामीवा परबरा रातपुर तहसील देवनागर जिला तारारमु
जयदाद जैल आति जय वीर निवासी मीरवाला परबरा जिला थानाभवन तहसील देवनागर जिला मुनफारन
द्वितीयपक्ष है।




29 Jun 1998

M. Saleem
 624



कान्ती देवी

M. SALEEM



श. शरीफ खान

M. SALEEM

ocate

Sh. Sharif Khan (SRE.)

Court Deoband (SRE)

कान्ती देवी

श. शरीफ खान

दरोबस्तक दुकान पूरब मुहानी, जितकी पैमायश पूरब ते पश्चिम
 13 फुट 6 ईंच, द उत्तर ते दक्षिण 8 फुट 4 ईंच है। जितका क्षेत्रफल
 10.46 वर्गमीटर है। ताभिरा पुस्तता सैन्टर पोश मय छत मय शटर
 आहानी -----



29 JUN 1998

Handwritten signature
625

कानूनी दफ्तर

डा०. सुभाष चंद्र

दुकान उत्तरका टाउन राहिया नं० 1/476 है। दुकान उत्तरकी पानिब
पारिचर्य की दिवार 9 ईच मोटाई की है। तैमे ते ताडे चर इच की
दिवार पैमायश मे शामिल है। तथा उत्तरकी ओरकी दिवार की
मोटाई 4 ईच है। जो दुकान उत्तरकी पैमायश मे शामिल है। ---



29 JUL 1998

समस्त
 NALU
 उप-जीपाचारि
 विभाग दिनांक
 नोड DED 4.6.26

उप-जीपाचार विभाग
 किछा- लडाखपुर

४४

दक्षिण की ओर की दिवार दुकान खुंरशीद की है। पूरब की दिवार दुकान उक्तकी पैमायश में शामिल है। मय उनलेहक हकूकरभक्ककार मुतालिक दुकान उक्त।

कानूनी दौरी

सा. शरान जटहर



29 JUN 1958

M. B. ...
 उप-कोषाधिकारी
 विवरण दिनांक-
 जोर D.D. 4-6-58

§5§

प्रथमपक्षने भूमि खुद करीब कर तासिर खुद की थी। दुकाने...
 उपा में प्रथमपक्ष के लावा अन्य कोई दित्तेदार किसी भी
 प्रकार से नहीं।

कानूनी देवी

डा० शरानि अहमद



29 JUL 1959

Mhe
 एन-जुडिशियल
 स्टैम्प
 नं० 620


एन-जुडिशियल
 स्टैम्प-पदावली

१६१

प्रथमपक्षविक्रय सिरकते गैरे सन्हा मानिक वकासि थी।
 कज्जा इन्करा नामे के द्वारा द्वितीयपक्ष का करा दिया है।
 द्वितीयपक्ष ने मु० 5400/-रुपयेका अतिरिक्त स्टैम्प अदा
 किया है। जिसको बरवक्तबैनामा द्वितीयपक्ष अपने बैनामे मे
 समायो रिक्त करेगा। प्रवृद्धावैत :

अनिल शर्मा

STATIONER STAMP



28 JUL 1998

उप-जीवाधार देवना
 निवा- पहाड़पुर
 जिला- पहाड़पुर

इसका :-

पूरब दिल्ली महारनपुर रोड पांचमसकान कान्तीदेवी प्रयापध
 उत्तरकडुडुडान कान्तीदेवी प्रथमपध व दक्षिणदिवार व हुमान सुरगी

कान्ती देवी

SATO

शैशान्व ५/ श्री सुरेशराम मो० शैशान्व

SATO

निशा देवीक ५/ श्री सुरेशराम मो० शैशान्व
 मो० शैशान्व ५/ श्री सुरेशराम मो० शैशान्व

दिनांक 29-7-1998

अपकर्ता

रचियता :-

आपका कसक का नाम - श्री सुरेशराम
 बस नं० प्रख्या 986 दिनांक 29-7-1998 तक विधिवत
 प्रमाणित किया गया - पहाड़पुर
 श्री सुरेशराम
 आपका कसक का नाम - श्री सुरेशराम

कान्ती देवी

शैशान्व ५/ श्री सुरेशराम

3293
विक्रय-पत्र दस्तावेज नंबर 178 फोटो मेरे द्वारा प्रमाणित है।

- 1: बेनामा 85000/-
- 2: बाजारी कीमत अनुसार सर्किल रेट एवं निर्धारित किराया 81002/-
- 3: देय स्टाम्प 6800/- - 5400/- = 1400/-
- 3: विक्रय किया गया क्षेत्रफल 10.46 वर्गमीटर जो कुल छपाहुआ है।
- 5: रेट प्रतिवर्गमीटर 1050x2=2100/-
- 6: निर्धारित किराया: प्रतिवर्गमीटर 22/-
- 7: विक्रीत दुकान के सम्बन्धी दिनांक 29-7-1998 ई 0 को अनुबन्ध तहरीर है।
- 8: विक्रीत जायदाद का नक्शा संलग्न बेनामा है।
- 9: विक्रीत सम्पत्ति नजूल की सम्पत्ति नहीं है।

मैं किकान्ती देवी पति श्री रमेशचन्द्र जाति चमार निवासी मोहल्ला
 शोखादगान कम्बा नानोता परगना रामपुर तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर

जो कि प्रतिज्ञ निम्नलिखित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी व अधिकारी है।
 जो हर प्रकार भार/रहन/से मुक्त व स्वच्छ है और जिसमें मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भागीदार किसी प्रकार नहीं है और जिसके विक्रय करने का मुझे पूर्ण स्वत्व अधिकार प्राप्त है, जो हमारे पूर्ण रूपेण कब्जे व अधिकार में है।

निम्नलिखित सम्पत्ति को केवल 85000/- पचासी हजार रूपयें

कि आधे जिसके 42500/- बियालिस हजार पांच सौ रूपयें होते हैं
 श्री डायर इमरान अहमद पुत्र स्व. डायर अनवार अहमद जाति शैख सिददीकी
 निवासी मोहल्ला छत्ता बंगला थाना भवन तहसील कैराना जिला मुजफ्फरनगर

जो कि बिना कोई अधिकार व हकूक सुरक्षित रखे हुये विक्रय कर दी व बेच दी और कुल विक्रय धन निम्नलिखित तौर पर प्राप्त कर लिया है और समस्त विक्रीत सम्पत्ति पर कब्जा व दखल तथा पूर्ण अधिकार क्रेता का करा दिया है अब मेरा या हमारे उत्तराधिकारी तथा स्थानापन्नों का विक्रीत सम्पत्ति या इसके धन से कोई सम्बन्ध शेष नहीं रहा है और न भविष्य में होगा। यदि मेरे स्वत्व या अधिकार के अभाव के कारण या भागीदार के उत्पन्न होने या अन्य किसी प्रकार नुक्स कानूनी के कारण कुल विक्रीत सम्पत्ति या उसका या उसका कुछ अंश क्रेता के कब्जे व अधिकार व मिलकियत से निकल जाये, कब्जा न मिले किसी भार के कारण जिसको मैंने स्पष्ट न किया हो या भार चुकता करना पड़े तो क्रेता को अधिकार है कि अपना कुल रुपया या उसका अंश व्याज एवं हर्जा-खर्चा कानूनी इस सम्बन्ध में और जो कुछ भी हानि क्रेता को हुई हो अथवा इस सम्बन्ध में व्यय क्रेता को करना पड़ा हो वह सब हमारे तथा उत्तराधिकारियों एवं स्थानापन्नों से विक्रीत सम्पत्ति अन्य हर प्रकार की चल-अचल सम्पत्ति व जात खास से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। विक्रेता एवं उसके स्थानापन्नों उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति किसी प्रकार से नहीं होगी। अतः यह विक्रय-पत्र स्वस्थ चित्त व मस्तिष्क स्थिर बुद्धि एवं स्वेच्छा से लिख दिया कि प्रमाण रहे।

विवरण प्राप्त विक्रय धन मु. 15000/- रूपये द्वारा इकरारनामा महादाब्य दिनांक 29-7-1998 ई 0 से प्राप्त किये व शेष मु. 70000/- रूपये नकद समय रजिस्ट्री बेनामा प्राप्त करना है। कुल मु. 85000/- रूपये

विवरण सम्पत्ति जो विक्रय की गई है स्थित मोहल्ला शोखादगान, दिल्ली सहारनपुर रो कम्बा नानोता परगना रामपुर तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर। बस स्टैण्ड चौराहे से दस दुकाने छोड़कर उसके उपरान्त स्थित है। =



समाप्त

13 0 OCT 1998

28



01/16/98

दरोबस्त एक दुकान पूरब मुहानी, जिसकी पैमायश पूरब सेपश्चिम 1 फुट 6ईच,

व उत्तर से दक्षिण 8 फुट चार ईच है। जिसका क्षेत्रफल 10.46 वर्गमी 0 है। तामि

पुखता लैन्टर पोश मय छत मय शटर आहानी । दुकान मुबैयाका टाऊन सरि

नं 0 1/476 है। दुकान उक्तकी जानिब पश्चिम की दिवार 9ईच मोटाई की है



13 0 OCT 1998

सम्पत्ति
13 0 OCT 1998

५०० रुपये

॥ ३१

जिसमे साठे चार ईयकी दिवार पैमायशमे सम्मलितहे। -



30 OCT 1998

हर-कोषाधिकारी
विषय
कोष DED

४४

स-कोषाधिकारी
विषय

श्री ३०

तथा उत्तर की ओर की दिवार की मोटाई 4 ईंच है। जो दुकान मुंबैया की
पैमायशमे सम्मलित है। दक्षिण की ओर की दिवार, दुकान खुरशीद की है। --



18 0 00. 1998

समायोजित
 दिनांक
 18/0/98

[5]

समायोजित
 दिनांक

18/0/98

पूरब की दिवार दुकान मुबियाकी पैमायशमे सम्मलितहे। मय जुमलेहक तकुक
 तररकफकार बाबत दुकान मुबियाउक्त। विक्रेताने भूमि खुद खरीदकर तामीर
 खुदकी थी। दुकान मुबियामे विक्रेताने अलावा अन्यकोई हिस्सेदारकिसी
 भी प्रकार सेनहीहे।-



180 OC. 1998

उप-रोकित
केन्द्र
केन्द्र
केन्द्र
केन्द्र

॥6॥

अनामिका देवी

विक्रेता बिना सिरकते गरे दुकान मुबैयाकी तन्हा मालिक व काबिज थी
विक्रेता ने कब्जा क्रेताको द्वारा इकरारनामामहादाब्यदिनांक 29-7-
1998ई0द्वारा करादियाथा। क्रेताने बरवर्त इकरारनामामहादाब्य मु0
5400/-रूपयेका अतिरिक्त स्टाम्प अदाकियाथा। जिसको क्रेतानेआज
बैनामा उक्तमे शामिल कर लियाहै। महदूदाजैल :-



27 Oct 1998

१७१

१ कयाधिकारी
 २ काषायार
 ३ चक्रवर्त (धरार्थवृत्त)

हददरबा :-

पूरबः दिल्ली महारनपुर रोड, पश्चिमः मकान कान्तीदेवी, उत्तरः दुकान
 कान्ती देवी दक्षिणदिवार व दुकान सुरशीद ।

कान्ती देवी

कान्ती देवी

सतो Dr. Jagan Chandra Singh Anwar (Thane)
 Mah Chitta Bangla
 Thane Bhausa

सतो रमेश चन्द ३/० ओ सुरनाम गोठ शरित जादि जात नाकेस

दिनांक 30-10-1998 ई 0

टाईपकर्ता

रधियता :-



महाराष्ट्र राज्य न्यायपालिका
 मुंबई न्यायालय
 मुंबई - ४००००१

EXISTING SHOP PLAN AT MOH-3 SHEKH JADGAN
 DELHI - SAHARANPUR ROAD (BUS STAND CROSSING AFTER
 6 SHOPS) NANDUTA. A. NO. 7476

SELLER -> SMT. KANTI DEVI W/O. RAMESH CHAND AT P/O. MOH-3
 SHEKH JADGAN NANDUTA P. RAMPUR S.K.E.
 PURCHASER -> DR. IMRAN AHMAD W/O. LATE DR. INTIKAR AHMAD
 AT P/O. MOH-3 BHATTA BAGLA THATA ANILGAN
 TEH -> KAIRATHA M. NAGAR

SCALE 1" = 5'-0"

TOTAL AREA -> 10.46 MT.²
 COV. AREA -> 10.46 MT.²



Handwritten signature: *Dr. Imran Ahmad*

OWNER'S SIGN

Signature: *Rajkumar Panwar*
RAJKUMAR PANWAR
 Civil Engg
 Layasthwa Patchdara Deoband
 M.B.L. No. 405124103

G. FLOOR PLAN


186

124

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपयेTEN
RUPEES

Rs.10



0



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

89AE 076006

शपथ पत्र

समक्ष:- सक्षम अधिकारी जनपद सहारनपुर ।

शपथ पत्र ओर से:- शाहिद अन्सारी पुत्र/पत्नी श्री सईद अहमद निवासी मोहल्ला शेखजादगान कस्बा नानीता तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर ।

शपथकर्ता शपथपूर्वक ब्यान करता है:-

1. यह की मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही है ।
2. यह की मेरा मकान/दुकान/प्लाट दिल्ली रोड पर स्थित खसरा नंबर 1578 मे स्थित है ।
3. यह की मेरे द्वारा दिल्ली रोड पर स्थित माकन/दुकान/प्लाट नंबर 01 नंबर 02 दिनांक 30/03/2011 को पुत्र-नगर पंचायत से क्रय किया गया था । जिसका बैनामा मेरे पास उपलब्ध है । जिसकी छायाप्रति संलग्न है ।
4. यह कि मैं पिछले 14 वर्षों से अपने मकान/दुकान पर काबिज हु । जब से मे अपने मकान / दुकान पर काबिज हु तब से यह भूमि समतल है और इस भूमि पर क्रय विक्रय हो रहे है ।
5. यह की मे अपनी दुकान का किरायानाम की रसीद समय अनुसार कट व रहा हु उक्त दुकान मे किरयाना का कार्य करता हु ।

Sworn & Verified by
Reg. No.-54923/25GULSHAN KUMAR
Advocate & Notary
Civil Court Saran
जिला (U.P.)

IDENTIFIED BY

ह० शपथकर्ता

187

FORM No. 5

Book No.

Receipt

Receipt No.

333

NAGAR PANCHAYAT, NANAUTA

01

Demand Register No.

Received from

Rupees (in words)

On account of

Premises No.

for the period

In full/part payment of demand bill No.

Dated

नोट :- गृहकर/जलकर/जलमूल्य भुगतान की रसीद सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार का प्रमाण पत्र नहीं है इसका प्रयोग किसी भी न्यायालय में सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार के दावे के लिए नहीं किया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति इसका प्रयोग इस उद्देश्य में करता है तो यह स्वयं उत्तरदायी होगा।

Rs. 3000/-

Executive Officer/Secretary

Dated 03-07-2024

Cashier

Accountant

Signature
Tax Collector
Clerk Incharge of Demand
and Collection Register
Tax Superintendent

FORM No. 5

Book No.

Receipt

Receipt No.

333

NAGAR PANCHAYAT, NANAUTA

03

Demand Register No.

Received from

Rupees (in words)

On account of

Premises No.

for the period

In full/part payment of demand bill No.

Dated

नोट :- गृहकर/जलकर/जलमूल्य भुगतान की रसीद सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार का प्रमाण पत्र नहीं है इसका प्रयोग किसी भी न्यायालय में सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार के दावे के लिए नहीं किया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति इसका प्रयोग इस उद्देश्य में करता है तो यह स्वयं उत्तरदायी होगा।

Rs. 1500/-

Executive Officer/Secretary

Dated 03-07-2024

Cashier

Accountant

Signature
Tax Collector
Clerk Incharge of Demand
and Collection Register
Tax Superintendent

सेवा में

श्रीमान अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नानौता जिला सहारनपुर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या

वर्ष 2018

विषय :- पत्रांक संख्या 252/न0पं0ना0/नोटिस/2017 दिनांकी जनवरी 31,2018

श्रीमान जी,

प्रार्थी को उपरोक्त विषयांक नोटिस प्राप्त हुआ जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी /आपत्तिकर्ता को निम्न कथन करना है।

1. यह कि प्रार्थी को प्रदत्त नोटिस दिनांकी जनवरी 31, 2018 झूटे एवं गलत एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने के कारण वापिस लिए जाने योग्य है।
2. यह कि प्रार्थी/आपत्तिकर्ता ने प्रश्नगत सम्पत्ति प्लॉट संख्या 1 व 2 स्थित खसरा संख्या 1578 वाकै कस्बा नानौता को नगर पंचायत नानौता से बजरिए रजिस्टर्ड किरायानामा/पट्टा दिनांकी 30.03.2011 जिसका इन्द्राज वही न01 जिल्द 480 के पृष्ठ संख्या 365-371 के क्रमांक 1889 पर दिनांक 30.03.2011 व वही न01 जिल्द 480 के पृष्ठ संख्या 371-376 के क्रमांक 1890 पर दिनांक 30.03.2011 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर में दर्ज है। किराए पर लेकर स्वयं अपने खर्चे से दुकान का निर्माण नगर पंचायत नानौता की अनुमति व देख-रेख में वर्ष 2011 में कराया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है।
3. यह कि प्रार्थी/आपत्तिकर्ता को प्लॉट संख्या 1/2 के किराएदार मुश्ताक अहमद पुत्र अब्दुल वहीद ने किरायानामा दिनांकी 30.03.2011 की धारा 9 के परिपक्व में किराएदारी के अधिकारों के सम्बन्ध में उसकी दुकान को प्रयोग करने का अधिकार प्रदान कर रखा है। इस कारण स्थल पर प्लॉट संख्या 1 व 1/2 व 2 पर निर्मित दुकाने एक ही शकल में दिखाई प्रतीत होती है। प्रार्थी/आपत्तिकर्ता ने किरायानामा की शर्तों के अनुसार ही स्थल पर दुकानों का निर्माण कर रखा है। प्रार्थी/आपत्तिकर्ता ने स्थल पर कोई अवैध अध्यासन नहीं किया हुआ है। इस कारण भी नोटिस दिनांकी जनवरी 31, 2018 वापिस लिए जाने योग्य है।
4. यह कि प्रार्थी/आपत्तिकर्ता द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्लॉट संख्या 1 व 1/2 व 2 के पूरब में नाला वादहू सड़क सरकारी पश्चिम में सम्पत्ति नगर पंचायत उत्तर

मे पक्का नाला बादहू सरकारी सडक व दक्षिण मे असबादी दीगर व्यक्ति स्थित है इस प्रकार प्रार्थी/आपत्तिकर्ता द्वारा किसी भी स्थान पर अवैध अध्यासन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। इस कारण भी नोटिस दिनांकी जनवरी 31, 2018 वापिस लिए जाने योग्य है।

5. यह कि श्रीमान जी द्वारा प्रदत्त नोटिस दिनांकी जनवरी 31, 2018 मे स्थल पैमाइश की कोई स्पष्ट आख्या प्रदर्शित नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रार्थी/आपत्तिकर्ता ने प्रश्नगत भूमि के किस भू-भाग पर अवैध अध्यासन किया हुआ है। इस कारण भी नोटिस दिनांकी जनवरी 31, 2018 वापिस लिए जाने योग्य है।
6. यह कि प्रश्नगत सम्पत्ति की स्वामिनी नगर पंचायत नानौता ही है प्रार्थी/आपत्तिकर्ता तो प्रश्नगत सम्पत्ति का मात्र किराएदार है जिसे प्रश्नगत सम्पत्ति को मात्र प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी/आपत्तिकर्ता किरायानामा/पट्टा दिनांकी 30.03.2011 की शर्तों के अनुसार ही प्रश्नगत सम्पत्ति का प्रयोग कर रहा है और भविष्य मे भी किरायानामा की शर्तों के अनुसार ही प्रश्नगत सम्पत्ति का उपयोग करता रहेगा।


अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी/आपत्तिकर्ता को प्रदत्त नोटिस दिनांकी 31 जनवरी 2018 को वापिस लिए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। अति कृपा होगी।

दिनांक

प्रार्थी/आपत्तिकर्ता

शाहिद अन्सारी पुत्र श्री सईद अन्सारी
नि० मौ० शेखजादगान करवा नानौता
जिला सहारनपुर

190



उत्तर प्रदेश, UTTAR PRADESH

16AB 491411

पढा गथा *Handwritten signature*

सत्यप्रतिष्ठापि



सुता गथा *Handwritten signature*

स-र.

जीश 157

66-11

विपुल कुमार जी
ना. न. - 7108-18
या अत्रा - 5-8-8 to 31-3-2018
प्रा. सं. - 108 - रा. सं. - रा. सं. - रा. सं.



192

पूजा-1 सूची - किया गया



M 957098

नगर पंचायत नानौता, तह0 रामपुर मनिहारान, जिला-सहारनपुर द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नानौता ...प्रथम पक्ष -

शाहिद अंसारी पुत्र श्री शाहिद अंसारी नि0 मौहल्ला- शेखजादगान, कस्बा, नानौता, तह0 रामपुर मनिहारान, जिला- सहारनपुरद्वितीय पक्ष-

यह कि द्वितीय पक्ष ने नगर पंचायत नानौता(सहारनपुर) प्रथम पक्ष के खं0 नं0 1578 म स्थित मौ0 -शेखजादगान, निकट शॉपिंग कॉम्पलैक्स के दक्षिण में खाली व्यवसायिक प्लॉट नं0 1 प्रथम पक्ष से किराये पर लिया है। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष में किरायेदारी सम्बन्धी निम्न व्यवस्थाएँ तय पाई हैं और दोनों इन व्यवस्थाओं के पाबन्ध रहेगे।

1. यह कि प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता के द्वारा व्यवसायिक प्लॉट नं0 1 (14.20 वर्ग फुट) का है। अंकन 2400 रु0(दो हजार चार सौ रु0) किराये पर लिया है।
2. यह कि आवासीय प्लॉट नं0 -1, के किराये में पहली बार बढ़ोतरी 25 प्रतिशत की 10 वर्ष के बाद स्वतः हो जायेगी। और इसी प्रकार 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी आगामी 10 वर्षों के बाद होगी जो केवल दो बार ही की जायेगी।
3. यह कि द्वितीय पक्ष आवंटित प्लॉट का निर्माण प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता के मानचित्र के अनुसार ही करेगा।
4. यह कि प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता के आवंटित प्लॉट नं0 -1, पर निर्माण कार्य आवंटित/द्वितीय पक्ष द्वारा ही किया जायेगा। द्वितीय पक्ष को ऊपरी मंजिल बनाने की छुट होगी जिसका कोई किराया नहीं होगा।
5. यह कि उपरोक्त आवासीय प्लॉट नं0-1 में, मुकान आदि बनाने में जो खर्च आयेगा वह किरायेदारी में समायोजित नहीं किया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत नानौता
सहारनपुर

यथार्थ प्रति

193

श्री १९३५ (११/१५)

Shobit
शुद्ध ११ कायान्त्य ...
... एव ...

...
...
...


... ३००६ ...
...

...
...
...

...
...
...

Shobit

...
...



...
...

Shobit

...
...

...
...

37

M 958099

6. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की परिभाषा में उनके वारिसान , एसाईनी, एकजीक्यूटर और ट्रांसफरी भी सम्मिलत होंगे ।
7. यह कि किराये का भुगतान बिल प्राप्त होने पर प्रत्येक दशा में किया जायेगा । किराये का भुगतान समय पर ना किये जाने के कारण तथा किसी भी शर्त के उल्लंघन पर प्रदेश में प्रचलित कानून के अन्तर्गत कार्यावाही करने का प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता को अधिकार होगा ।
8. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की अनुमति के बिना सम्बन्धित व्यवसायिक प्लॉट नं 0 - 1 की किरायेदारी किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।
9. यह कि द्वितीय पक्ष यदि अपने मरने तक किरायेदारी के अधिकारों के सम्बन्ध में अपने अधिकार में किसी व्यक्ति को लायेगा तो निश्चित रूप से प्रथम पक्ष उसका आदर करेगा ।
10. यह कि उपरोक्त व्यवसायिक प्लॉट नं 0 - 1 पर निर्मित भवन में किसी भी प्रकार का आपत्ति जनक व क्षोभकार / व्यापार/ व्यवसाय करने की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी ।
11. यह कि द्वितीय पक्ष को व्यवसायिक प्लॉट नं 0-1 में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को निवास कराने का अधिकार रहेगा । और इस सम्बन्ध में परिवार की परिभाषा में किरायेदार उसकी पत्नी उसी की आय पर आधारित उसके माता पिता एवं उसके व्यस्क बच्चे होंगे । विवाहित पुत्री व उसका पति निश्चित रूप से किरायेदारी के सदस्य नहीं माने जायेंगे ।
12. यह कि उपरोक्त व्यवसायिक प्लॉट नं 0-1 के निर्मित भवन में विद्युत एवं जल आदि की सुविधा अपने व्यय पर द्वितीय पक्ष अपने नाम से ही लेगा । तथा जिसका भुगतान द्वितीय पक्ष को स्वयं ही करना होगा तथा अन्य कर जो भी नगर पंचायत नानौता/ सरकार द्वारा लगाये जायेंगे वह द्वितीय पक्ष को स्वयं ही उसका भुगतान करना होगा ।

श्री ए. ए. नौता
नगर पंचायत नानौता
सहारनपुर

सुना 1/10/2016


यथार्थ प्रति

196

1983
धृवी-1 सूची-II लिखा गया

365
370

जबल 2/0 192/011



Deed Writer
Tech-Kanpur Math. (S.K.B.)

M 956100

नगर पंचायत नानौता, तह0 रामपुर मनिहारान, जिला-सहारनपुर द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नानौता ...प्रथम पक्ष -
शाहिद अंसारी पुत्र श्री शहिद अंसारी नि0 मौहल्ला- शेखजादगान, कस्बा, नानौता, तह0 रामपुर मनिहारान, जिला- सहारनपुरद्वितीय पक्ष-

यह कि द्वितीय पक्ष ने नगर पंचायत नानौता(सहारनपुर) प्रथम पक्ष के खं0 नं0 1578 म स्थित मौ0 -शेखजादगान, निकट शॉपिंग कॉम्प्लैक्स के दक्षिण मे खाली आवासीय प्लाट नं0 2 प्रथम पक्ष से किराये पर लिया है। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष में किरायेदारी सम्बन्धी निम्न व्यवस्थायें तय पाई है और दोनो इन व्यवस्थाओं के पाबन्ध रहेगे।

1. यह कि प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता के द्वारा आवासीय प्लाट नं0 2 (69.44 वर्ग गज) का है। अंकन 1200 रु0 (एके हजार दो सौ रु0) किराये पर लिया है।
2. यह कि आवासीय प्लाट नं0 -2, के किराये में पहली बार बढोतरी 25 प्रतिशत की 10 वर्ष के बाद स्वतः हो जायेगी। और इसी प्रकार 25 प्रतिशत की बढोतरी आगामी 10 वर्षों के बाद होगी जो केवल दो बार ही की जायेगी।
3. यह कि द्वितीय पक्ष आवंटित प्लाट का निर्माण प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता के मानचित्र के अनुसार ही करेगा।
4. यह कि प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता के आवंटित प्लाट नं0 -2, पर निर्माण कार्य आवंटित/ द्वितीय पक्ष द्वारा ही किया जायेगा। द्वितीय पक्ष को ऊपरी मंजिल बनाने की छुट होग जिसका कोई किराया नहीं होगा।
5. यह कि उपरोक्त आवासीय प्लाट नं0-2 में, मकान आदि बनाने मे जो व्यय आयेगा वह किरायेदारी मे समायोजित नहीं किया जायेगा।

नगर पंचायत नानौता
सहारनपुर

पढ़ा... ति...
सुना... 1980

पढ़ा... यथा...
सुना... 1980

13
28-3

शाहिक अमली सफाई काम

वागना
सिमाना

530

7/06-00

25-3-00

1000 3000

जिब्रान्तिया
1700

हम घोषणा करते हैं कि कार्यालय
पत्र की यथाथ एव सत्य बात है।

मुलख

तुलना फ्रीस
1000 700/200

Shedil

शाहिद अमली

शाहिद अमली
निवासी
विकास
संख्या 3

Shedil

शाहिद अमली
विकास

Shedil

शाहिद अमली
विकास



हस्ताक्षर

आधी राखी
तार तिरो तारो है

दि 01/06/00
होड तिरो

530

367

6. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की परिभाषा में उनके वारिसान , एसाईनी, एकजीक्यूटर और ट्रांसफरी भी सम्मिलत होंगे ।

7. यह कि किराये का भुगतान बिल प्राप्त होने पर प्रत्येक दशा में किया जायेगा । किराये का भुगतान समय पर ना किये जाने के कारण तथा किसी भी शर्त के उल्लंघन पर प्रदेश में प्रचलित कानून के अन्तर्गत कार्यावाही करने का प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता को अधिकार होगा ।

8. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की अनुमति के बिना सम्बन्धित आवासीय प्लॉट नं 0 - 2 की किरायेदारी किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।


9. यह कि द्वितीय पक्ष यदि अपने मरने तक किरायेदारी के अधिकारों के सम्बन्ध में अपने अधिकार में किसी व्यक्ति को लायेगा तो निश्चित रूप से प्रथम पक्ष उसका आदर करेगा ।

10. यह कि उपरोक्त आवासीय प्लॉट नं 0 - 2 पर निर्मित भवन में किसी भी प्रकार का आपत्ति जनक व क्षोभकार / व्यापार/ व्यवसाय करने की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी ।

11. यह कि द्वितीय पक्ष को आवासीय प्लॉट नं 0-2 में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को निवास कराने का अधिकार रहेगा । और इस सम्बन्ध में परिवार की परिभाषा में किरायेदार उसकी पत्नी उसी की आय पर आधारित उसके माता पिता एवं उसके व्यस्क बच्चे होंगे । विवाहित पुत्री व उसका पति निश्चित रूप से किरायेदारी के सदस्य नहीं माने जायेंगे ।

12. यह कि उपरोक्त आवासीय प्लॉट नं 0-2 के निर्मित भवन में विद्युत एवं जल आदि की सुविधा अपने व्यय पर द्वितीय पक्ष अपने नाम से ही लेगा । तथा जिसका भुगतान द्वितीय पक्ष को स्वयं ही करना होगा तथा अन्य कर जो भी नगर पंचायत नानौता/ सरकार द्वारा लगाये जायेंगे वह द्वितीय पक्ष को स्वयं ही उसका भुगतान करना होगा ।





पञ्च
 मूया

369

13. यह कि आवासीय प्लॉट नं०-2 का किराया अनुबन्ध के निष्पादन की तिथि के पश्चात दिनांक 1.04.11 से देय हो जायेगा जो 30 वर्ष (तीस वर्ष) तक प्रभावी होगा।

14. यह कि 30 वर्षों (तीस वर्षों) के बाद किराये में वृद्धि की जायेगी तो वह वृद्धि रजिस्टर्ड अभिलेख से ही की जायेगी।
नगर पंचायत - नानौता
सहारनपुर

अतः यह किराये नामा हम दोनों पक्षों ने अपने-2 स्वस्थ मस्तिष्क स्थिर बुद्धि व स्वेच्छा से खुब सोच समझकर लिख दिया की प्रमाण भरे काफी समय तक काम आवें।
पेन १५ नं०
इस के जो शर्तें शब्द व वाक्यांश हैं जो एतादर से स्वीकृत हैं।

ह०

ह०

धधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत - नानौता
सहारनपुर

सा०

कनक लाल शर्मा

सा०

दिनांक-30.03.2011
161-Kanpur Municipal (N.E.)

टाईप कर्ता- पप्पू सिंह , कुराली

रचयिता:

पदाधिकारी
नगर पंचायत - नानौता
सहारनपुर
161-Kanpur Municipal (N.E.)

Handwritten signature and stamp at the bottom right.

200

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपयेTEN
RUPE

10

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

89AE 076009

शपथ पत्र

समक्ष:- सक्षम अधिकारी जनपद सहारनपुर।

शपथ पत्र और से:- वसीम अख्तर पुत्र/पत्नी श्री नसीरुल हसन निवासी मोहल्ला छत्ता नानौता कस्बा नानौता तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

शपथकर्ता शपथपूर्वक ब्यान करता है:-

1. यह की मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही है।
2. यह की मेरा मकान/दुकान/प्लाट दिल्ली रोड पर स्थित खसरा नंबर 1578 मे स्थित है।
3. यह की मेरे द्वारा दिल्ली रोड पर स्थित माकन/दुकान/प्लाट दिनांक 04/09/2023 को पुत्र से क्रय किया गया था। जिसका बैनामा मेरे पास उपलब्ध है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
4. यह कि मैं पिछले वर्षों से अपने मकान/दुकान पर काबिज़ हु। जब से मे अपने मकान / दुकान पर काबिज़ हु तब से यह भूमि समतल है और इस भूमि पर क्रय विक्रय हो रहे है।
5. यह की मे अपनी दुकान की रसीद समय अनुसार कट व रहा हु उक्त दुकान मे फल का कार्य करता हु।

यह की शपथ पत्र का पैरा 01 ता 05 सब सच व सही है मेरे द्वारा कोई भी तथ्य

छिपाया नहीं गया है। ईश्वर सच बोलने मे मेरी मदद करे।

Sworn & Verified
Reg. No. - 51923/25GULSHAN KUMAR
Advocate & Notary
Civil Court Saharanpur (U.P.)

दिनांक:-

IDENTIFIED BY

ह० शपथकर्ता



Government of Uttar Pradesh

IN-UP04915044672098V

e-Stamp

Mob. Sharik Ansan


Reg. No. 2378/17
Teh. Rampur, Mani (SRB.)
Mob.-7417445510
9897302330



CERTIFICATE
Checked & Locked

6002
2023

Certificate No. : IN-UP04915044672098V
 Certificate Issued Date : 04-Sep-2023 02:09 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14105804/ SAHARANPUR/ UP-SHR
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1410580405389652400337V
 Purchased by : VASEEM AKHTER SO NASIRUL HASAN
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : PLOT AT MOH SEKHJADGAN KASBA NANAUTA TEH RAMPUR MANI SRE
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : KANTI DEVI WO RAMESH CHAND
 Second Party : VASEEM AKHTER SO NASIRUL HASAN
 Stamp Duty Paid By : VASEEM AKHTER SO NASIRUL HASAN
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 30,000
 (Thirty Thousand only)




Please write or type below this line



कान्ती देवी
Mob. Sharik Ansan
Advocate

Reg. No. U.P.-2378/17
Teh. Rampur, Mani (SRB.)
Mob.-7417445510
9897302330



Sharik Ansan
Advocate

Reg. No. U.P.-2378/17
Teh. Rampur, Mani (SRB.)
Mob.-7417445510
9897302330



कान्ती देवी

Sharik Ansan



0007390617

2

विक्रय-पत्र (प्लॉट)

दस्तावेज पर चस्पा फोटो मेरे द्वारा प्रमाणित है।

1. बैनामा-4,00,000 /रु०-
2. बाजारी कीमत अनुसार सर्किल रेट - 4,26,730रु०
3. विक्रय किया गया कुल क्षेत्रफल-53.88 वर्ग मी०
4. रेट प्रति वर्गमीटर-7200/-रुपये + 10 प्रतिशत चौहद्दी में दुकान होने के कारण- 7920रु० प्रति वर्गमीटर अनुसार रेट लिस्ट के प्रारूप 2 पृष्ठ सं०-22 क्रम संख्या 185 कोड नं०-0021
5. देय स्टाम्प-30,000रु० मय दो प्रतिशत नगर पंचायत विकास शुल्क सहित
6. विक्रीत प्लॉट के सम्बंध में इकरारनामा माहदा बैय नहीं किया गया है।
7. विक्रीत प्लॉट का नक्शा साथ संलग्न है।
8. विक्रीत प्लॉट स्थित- मौ० शेखजादगान कस्बा नानौता परगना व तहसील रामपुर मनि० जिला सहारनपुर में स्थित है। जिसका नगर पंचायत नम्बर 1/1575 है। जो 18 फुट यानि 5.49 मी० चौड़े रास्ते के किनारे स्थित है। जिस पर कोई रोड सेगमेन्ट रेट प्रभावी नहीं है।

मैं कि श्रीमति कान्ति देवी पत्नि रमेश चन्द जाति चमार पेशा गृहकार्य निवासी मौ० शेखजादगान कस्बा नानौता पर० व तह० रामपुर मनि० जिला सहारनपुर। आधार कार्ड न० **** * 7529 व पैन कार्ड न०- JCDPD3800D मो० न०- 7037013859----- (विक्रेताणी)

जो कि प्रतिज्ञ निम्नलिखित सम्पत्ति का मैं विक्रेताणी पूर्ण स्वामी व अधिकार है। जो हर प्रकार के भार/रहन से मुक्त है जिसमें मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भागीदार किसी प्रकार नहीं है और जिसके विक्रय करने का मुझे पूर्ण स्वत्व अधिकार प्राप्त है जो हमारे पूर्ण रूपेण कब्जे व अधिकार में है। निम्नलिखित सम्पत्ति को केवल 4,00,000(चार लाख रु०) रूपये में विक्रय किया गया है। जिसके आधे 2,00,000रु०(दो लाख रु०) होते हैं

बदस्त- वसीम अख्तर पुत्र नसीरुल हसन जाति सैय्यद पेशा मजदूरी निवासी मौ० छत्ता कस्बा नानौता पर० व तह० रामपुर मनि० जिला सहारनपुर आधार कार्ड संख्या **** * 9723 व पैन कार्ड न०- APUPA2339F मो० न०- 6396125998 ----- (क्रेता)

कान्ति देवी

रमेश चन्द



भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक रामपुर सहारनपुर क्रम 2023310008415

आवेदन संख्या 202300705007542

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2023-09-04 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम वसीम अख्तर

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिफल की धनराशि 400000 / 427000.00

1. रजिस्ट्रिकरण शुल्क 4270
2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 60
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुख्तार के अधिप्रमाणीकरण लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विधि
7. यात्रिक भता

1 से 6 तक का योग 4330

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2023-09-04 00:00:00

दिनांक जय लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2023-09-04 00:00:00

रजिस्ट्रिकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

3


विक्रेताणी ने क्रेता को बिना कोई अधिकार व हकूक सुरक्षित रखे हुए विक्रय कर दी है व बेच दी और कुल विक्रय धन निम्नलिखित तौर पर प्राप्त कर लिया है और समस्त विक्रित सम्पत्ति पर कब्जा व दखल तथा पूर्ण अधिकार क्रेता को करा दिया है। अब मेरा या मेरे उत्तराधिकारियों या स्थानापन्नो का विक्रित सम्पत्ति या इसके धन से कोई सम्बन्ध शेष नहीं रहा और न भविष्य में होगा। यदि मेरे स्वत्व या अधिकार के अभाव के कारण या किसी भागीदार के उत्पन्न होने या अन्य किसी प्रकार के नुक्स कानूनी के कारण कुल विक्रित सम्पत्ति या उसका कुछ अंश क्रेता के कब्जा व अधिकार व मिलकियत से निकल जाये कब्जा न मिले, किसी भार के कारण जिसको मैंने स्पष्ट न किया हो या भार चुकता करना पड़े तो क्रेता को पूर्ण अधिकार है कि अपना कुल रूपया या उसका अंश मय ब्याज एवं हर्जा खर्चा कानूनी इस सम्बन्ध में और जो कुछ भी हानि क्रेता को हुई हो अथवा इस सम्बन्ध में व्यय क्रेता को करना पड़ा हो वह सब वह सब हमारे तथा उत्तराधिकारियों एवं स्थानपन्नो से विक्रित सम्पत्ति व अन्य हर प्रकार की चल अचल सम्पत्ति व जात खास से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले। विक्रेताणी एवं उसके स्थानापन्न एवं उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति किसी प्रकार से नहीं होगी।

विवरण प्राप्ति विक्रय धन-4,00,000रू0 द्वारा चैक संख्या 340082 भारतीय स्टेट बैंक शाखा नानौता दिनांकी 04.09.2023ई0 से प्राप्त कर लिये गये है।

कान्ती देवी



विक्रेता



आवेदन सं०: 202300705007542

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6002

वर्ष: 2023


प्रतिफल- 400000 स्टाम्प शुल्क- 30000 बाजारी मूल्य - 427000 पंजीकरण शुल्क - 4270 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 4330

श्री वसीम अख्तर,
पुत्र श्री नसीरुल हसन
व्यवसाय: अन्य
निवासी: मौ० छत्ता कस्बा नानौता




ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 04/09/2023 एवं 03:05:21 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


 एम०के० त्यागी प्र०

उप निबंधक : रामपुर मनिहारन
सहारनपुर
04/09/2023

रामपुर मनिहारन सहारनपुर
निबंधक लिपिक
04/09/2023

प्रिंट करें

आवेदन सं०: 202300705007542

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6002

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्रीमती कान्ति देवी, पत्नी श्री रमेश चन्द

निवासी: मौ० शेखजादगान कस्बा नानौता

व्यवसाय: अन्य

कान्ति देवी



क्रेता: 1

श्री वसीम अख्तर, पुत्र श्री नसीरूल हसन

निवासी: मौ० छत्ता कस्बा नानौता

व्यवसाय: अन्य

वसीम अख्तर



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री मौ० हैदर, पुत्र श्री नसीरूल हसन

निवासी: मौ० छत्ता कस्बा नानौता

व्यवसाय: अन्य

मौ० हैदर



पहचानकर्ता: 2

श्री आसिफ हुसैन, पुत्र श्री आरिफ हुसैन

निवासी: मौ० चाहमंजली कोट कस्बा नानौता

व्यवसाय: अन्य

आसिफ हुसैन



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम०के० त्यागी प्र०

उप निबंधक: रामपुर मनहारन

सहारनपुर

04/09/2023

रामपुर मनहारन सहारनपुर

निबंधक लिपिक सहारनपुर

04/09/2023

छिट करे

-4-

:-विवरण प्लॉट मुबैया:-

प्लाट स्थित- मौ० शेखजादगान कस्बा नानौता परगना व तहसील रामपुर मनि० जिला सहारनपुर मे स्थित है । जिसका नगर पंचायत नम्बर 1/1575 है। जो 18 फुट यानि 5.49 मी० चोडे रास्ते के किनारे स्थित है। जिस पर कोई रोड सेगमेन्ट रेट प्रभावी नही है।

दरोबस्त एक किता प्लाट उत्तर मुहाना जिसकी पैमाईश संलग्न नक्शे के अनुसार जानिब पूरब 24 फुट 7 इन्च व जानिब पश्चिम 24 फुट 7 इन्च जानिब उत्तर 23 फुट 7 इन्च व जानिब दक्षिण 23 फुट 7 इन्च जिसका कुल विक्रय किया गया क्षेत्रफल 53.88 वर्ग मी० यानि 64.42 वर्ग गज है । जिसमे कोई भी निर्माण किसी भी प्रकार का नही है। मय जुमले हक हकूक हर एक प्रकार बाबत प्लॉट मुबैया उक्त।

महदूदा जैल हदूदरबा

पूरब - दुकान राजबीर व इमरान व खुरशीद

पश्चिम- प्लाट नगर पंचायत नानौता

उत्तर- रास्ता 18 फुट यानि 5.49 मी० चोडा

दक्षिण - दुकान नगर पंचायत नानौता

कान्ता देवी



5

विक्रीत प्लॉट मुझ विक्रेताणी की जरखरीद सम्पत्ति है। जिसकी रजि० का इन्द्राज बही न० 1 जिल्द संख्या 1363 के पृष्ठ संख्या 319 से 389-392 क्रमांक 3768 दिनांक 29.10.1982 उपनिबन्धक कार्यालय देवबन्द पर दर्ज है। और इसी हैसियत से प्लॉट मुबैया उक्त विक्रय किया है। प्लॉट मुबैया पर कब्जा क्रेता का मौके पर बखूबी मालिकाना तौर पर करा दिया गया है। विक्रीत प्लॉट हर प्रकार के ऋण भार एवं विवाद आदि से मुक्त एवं स्वच्छ है। अब क्रेता को समस्त अधिकार मालिकाना व बैय रहन आदि हर एक प्रकार मुझ विक्रेताणी से हासिल हो गये हैं और मेरा कोई ताल्लूक या वास्ता किसी भी प्रकार का विक्रीत प्लॉट से नहीं रहा है। हम घोषणा करते हैं कि ऐसे सभी तथ्य एवं परिस्थितियां जिनसे स्टाम्प देयता प्रभावित हो सकती है छिपाये नहीं गये हैं। उक्त कथन पूर्णतया सत्यता पूर्वक अंकित किये गये हैं तथा दस्तावेज हाजा विक्रेताणी एवं क्रेता के द्वारा बताये गये तथ्यो के आधार पर तहरीर कराये गये हैं। हम पक्षकार घोषणा करते हैं कि उपरोक्त अन्तरित सम्पत्ति का प्रथम पक्ष की जरखरीद द्वारा पूर्णरूपेण मालिक व काबिज है तथा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कोई इकरारनामा इससे पूर्व नहीं किया है सम्पत्ति सम्बन्धित किसी भी प्रकार का वाद-विवाद/न्यायालय में विचारधीन नहीं है तथा हर प्रकार के भार/रहन/बैंक ऋण से मुक्त है यह सम्पत्ति किसी भी प्रकार की राजकीय सम्पत्ति तालाब, गौचर, धर्मस्थल, शमशान व कब्रिस्तान, शत्रु सम्पत्ति ,

कान्ती देवी



वकील



6

ग्राम समाज ,कस्टोडियन या अवैध सम्पत्ति या वक्फ बोर्ड नहीं है जिसको अन्तरित करने का प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर प्रकार से प्राप्त है । इस सम्पत्ति के अन्तरण पर किसी भी न्यायालय/कार्यालय अथवा किसी अन्य स्तर से कोई स्टे या किसी भी प्रकार की रोक या पाबन्दी नहीं है। कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर उभय पक्ष जिम्मेदार होंगे।

ह0

ह0

मौ० नसीरुल

मौ० शरीफ




साक्षी 1 के हस्ताक्षर

प्रमाणित फोटो-

मौ० हैदर

मौ० हैदर

नाम- मौ० हैदर पुत्र नसीरुल
हसन नि० मौ० छत्ता कस्बा
नानौता जिला सहारनपुर। मो०
न०- 9458540900




साक्षी 2 के हस्ताक्षर

प्रमाणित फोटो-

मौ० शरीफ

नाम-आसिफ हुसैन पुत्र आरिफ
हुसैन नि० मौ० चाहमंजलीकोट
कस्बा नानौता जिला सहारनपुर
मौ० न०- 7037374799



दिनांक - 04.09.2023ई०

रचियता- मौ० शारिक अन्सारी एडवोकेट

तहसील रामपुर मनि० जिला सहारनपुर।

Moh. Shariq Ansari
Advocate
Reg. No. U.P.-2378/17
Tel. 741744510 (SRB)
Mob.-741744510
9497302310


 भारत सरकार
 Government of India



कान्ति देवी
Kanti Devi

पिता : मनफूल
Father : Manphool


जन्म तिथि / DOB : 12/12/1967
महिला / Female



7115 0000 0000

आधार - आम आदमी का अधिकार

कान्ति देवी



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
 Unique Identification Authority of India

पता: W/O: रमेश चन्द, नजदीक
बस स्टैंड दिल्ली रोड, शेखजादगान,
नानौता देहात, नानौता, सहारनपुर,
उत्तर प्रदेश, 247452

Address: W/O: Ramesh Chand, NEAR
BAS STAND DEHLI ROD,
SHEKHZADGAN, Nanauta Dehat,
Nanauta, Saharanpur, Uttar Pradesh,
247452

7115 0000 0000


 1800 300 1947


 help@uidai.gov.in


 www.uidai.gov.in

211

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

ई-स्थायी लेखा संख्या कार्ड
e - Permanent Account Number (e-PAN) Card
JCDDPD3800D

नाम / Name KANTI DEVI

पिता का नाम / Father's name MANPHOOL


जन्म की तारीख / Date of Birth 12/12/1967

लिंग / Gender Female



हस्ताक्षर / Signature

PAN Application Digitally Signed. Card Not Valid unless Physically Signed



Signature Not
Verified

Digitally signed by
Income Tax Deptt.
Date: 2023.09.03 10:52:16 IST

- ✓ Permanent Account Number (PAN) facilitate Income Tax Department linking of various documents, including payment of taxes, assessment, tax demand tax arrears, matching of information and easy maintenance & retrieval of electronic information etc. relating to a taxpayer. स्थायी लेखा संख्या (पैन) एक करदाता से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों को जोड़ने में आयकर विभाग को सहायक होता है, जिसमें करों के भुगतान, आकलन, कर मांग, टैक्स बकाया, सूचना के मिलान और इलेक्ट्रॉनिक जानकारी का आसान रखरखाव व बहाली आदि भी शामिल है।
- ✓ Quoting of PAN is now mandatory for several transactions specified under Income Tax Act, 1961 (Refer Rule 114B of Income Tax Rules, 1962) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट कई लेनदेन के लिए स्थायी लेखा संख्या (पैन) का उल्लेख अब अनिवार्य है (आयकर नियम, 1962 के नियम 114B, का संदर्भ लें)
- ✓ Possessing or using more than one PAN is against the law & may attract penalty of upto Rs. 10,000. एक से अधिक स्थायी लेखा संख्या (पैन) का रखना या उपयोग करना, कानून के विरुद्ध है और इसके लिए 10,000 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है।
- ✓ The PAN Card enclosed contains Enhanced QR Code which is readable by a specific Android Mobile App. Keyword to search this specific Mobile App on Google Play Store is "Enhanced QR Code Reader for PAN Card". एनहांस्ड पैन कार्ड में एनहांस्ड क्यूआर कोड शामिल है जो एक विशिष्ट एंड्रॉइड मोबाइल ऐप द्वारा पठनीय है। Google Play Store पर इस विशिष्ट मोबाइल ऐप को खोजने के लिए कीवर्ड "Enhanced QR Code Reader for PAN Card" है।

Cut

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card
JCDDPD3800D



नाम / Name
KANTI DEVI
पिता का नाम / Father's name
MANPHOOL
जन्म की तारीख / Date of Birth
12/12/1967

PAN Application Digitally Signed. Card Not Valid unless Physically Signed

इस कार्ड के खोने/पाने पर कृपया सूचित करें/वीटारें:
आयकर पैन सेवा इकाई, प्रोटीकन ईगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
(पूर्व में एनएसडी ईगवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड)
सीधे मंत्रालय, सफ़ायर चैंबर,
बानेर रोड, बानेर,
पुणे - ४११०४१

If this card is lost / someone's lost card is found,
please inform / return to :

Income Tax PAN Services Unit, Protean eGov Technologies Limited
(formerly NSDI e-Governance Infrastructure Limited)
4th Floor, Sapphire Chambers,
Baner Road, Baner,
Pune - 411045

फोन : ०२०-२७२१८०४०, ई-मेल: tininfo@proteantech.in



भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रमांक / Enrollment No.: 2906/03800/02656

To
वसोम अख्तर
Vasim Akhtar
C/O. Nasirul Hasan,
NEAR RAM DARBAR MANDIR, CHATTA,
VTC. Nanauta Dehat,
PO: Nanauta,
Sub District: Deoband, District: Saharanpur,
State: Uttar Pradesh,
PIN Code: 247452,
Mobile: 9456272492

32363907



MC323639072FL



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

8102 0000 0000 0000

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार
Government of India



Issue Date: 06/10/2013



वसोम अख्तर
Vasim Akhtar
जन्म तिथि / DOB : 12/08/1962
पुरुष / Male

मेरा आधार, मेरी पहचान

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

VASIM AKHTAR

NASIRUL HASAN

12/08/1962

Permanent Account Number
APUPA2339F

Signature



16092010

Vasim Akhtar







214

SITE PLAN OF A PLOT SITUATED AT. MOHALLA SEKHJADGAN
MPL NO $\frac{1}{1574}$ & $\frac{1}{1575}$ NANAUTA PARGANA TEHSIL RAMPUR
MANIHARAN DISST- SAHARANPUR

I - PARTY :- SMT. KANTI DEVI W/O RAMESH CHAND
R/O MOHALLA SEKHJADGAN TOWN NANAUTA

II - PARTY :- VASEEM AKHTAR S/O NASIRUL HASAN
R/O MOH CHATTA TOWN NANAUTA

AREA:- TOTAL PLOT AREA = 53.88 SQMT.



PLOT OF NAGRA
PANCHYAT NANAUTA

SHOP OF RAJBEER &
IMRAN & KHURSHEED

SHOP OF NAGRA
PANCHYAT NANAUTA

RESI/ PLOT IS UP TO
50 MT. RADIUS

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

215

आवेदन सं०: 202300705007542

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 4148 के पृष्ठ 167 से 180 तक क्रमांक
6002 पर दिनांक 04/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम०के० त्यागी प्र०


उप निबंधक : रामपुर मनिहारन

सहारनपुर

04/09/2023

बेनामा फीस उजरत मिजान शब्द लगभग
7000/- 01/ 9 04/ 60

श्री ~~...~~ पुत्र श्री ~~...~~
नि० ~~...~~ प० ~~...~~ त० देवबन्द
जि० सहारनपुर ने यह लेखपत्र कार्यालय
रजिस्ट्रार देवबन्द में आज दिनांक 22-10-22
समय मध्य 2 बजे बजे दिन के प्रस्तुत


श्री० र० देवबन्द 25/10/22

पुला मोहन शर्मा

3000 श्री ~~...~~ श्री ~~...~~

इस लेखपत्र का विवरण सुन व समझकर तथा
कुन जरे समत सु० ~~...~~
ने से सु०

एकारे ~~...~~ करके सम्पादन स्वीकार किया
मान प्रतिश की श्री ~~...~~
पुत्र ~~...~~ नि० ~~...~~
श्री ~~...~~ पुत्र ~~...~~
ने की। ~~...~~ 25/10/22


पुला मोहन शर्मा




श्री ~~...~~



श्री ~~...~~


25/10/22

उपरोक्त किन्हु अंगूठे निप्रमानुसार लिये गये हैं
साक्षी गज गले प्रतीत होते हैं साक्षी एक/दो से
हम परिचित हैं, नि०अ० से मुक्त किया।


25/10/22

220

3


3158



शुजाता देवी शर्मा

१०० (१००) ५०० (५००) १००० (१०००) ५००० (५०००) १०००० (१००००)

222



सात रुपये

44 10 11

क्र 22-20-22

१-९


२२

३)

सिन्धुमती २२/१/२२

223

161



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

89AE 076003

शपथ पत्र

समक्ष: सक्षम अधिकारी जनपद सहारनपुर ।

शपथ पत्र ओर से:- श्री शहजाद खां पुत्र शब्बीर खां निवासी मोहल्ला छत्ता कस्बा नानौता तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर ।

शपथकर्ता शपथपूर्वक ब्यान करता है:-

1. यह की मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही है ।
2. यह की मेरा प्लाट दिल्ली रोड पर स्थित खसरा नंबर 1578 मे स्थित है ।
3. यह की मेरे द्वारा दिल्ली रोड पर स्थित प्लाट नंबर 05 दिनांक को पुत्र से क्रय किया गया था । जिसका बैनामा मेरे पास उपलब्ध है । जिसकी छायाप्रति संलग्न है । जिसका मे स्वामी हूँ ।
4. यह कि मैं पिछले 14 वर्षों से अपने प्लाट पर काबिज हु । जब से मे अपने प्लाट पर काबिज हु तब से यह भूमि समतल है और इस भूमि पर क्रय विक्रय हो रहे है ।
5. यह की मे अपनी दुकान की नगर पंचायत नानौता की रसीद समय अनुसार कटवा रहा हु उक्त प्लाट खाली है ।

यह की शपथ पत्र का पैरा 01 ता 05 सब सच व सही है मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है । ईश्वर सच बोलने मे मेरी मदद करे ।

Sworn & Verified by Me
Reg. No. 5422/25
GULSHAN KUMAR
Advocate & Notary
Civil Court Saharanpur (U.P.)
दिनांक: 21/10/25

शहजाद खां
ह० शपथकर्ता

शहजाद खां

IDENTIFIED BY



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 958103



नगर पंचायत नानौता, तह0 रामपुर मनिहारान, जिला-सहारनपुर द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नानौता प्रथम पक्ष -

शुहजाद खां पुत्र श्री सब्बीर खां नि0 मौहल्ला- छत्ता, कस्बा, नानौता, तह0 रामपुर मनिहारान, जिला-सहारनपुर द्वितीय पक्ष-

सह कि द्वितीय पक्ष ने नगर पंचायत नानौता (सहारनपुर) प्रथम पक्ष के खं0 नं0 1578 म स्थित मौ0 -शेखजादगान, निकट शॉपिंग कॉम्प्लैक्स के दक्षिण में खाली आवासीय प्लाट नं0 5 प्रथम पक्ष से किराये पर लिया है। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष में किरायेदारी सम्बन्धी निम्न व्यवस्थाएँ तय पाई है और दोनों इन व्यवस्थाओं के पाबन्ध रहेगे।

1. यह कि प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता के द्वारा आवासीय प्लाट नं0 5 (1.73 वर्ग गज) का है। अंकन 1200 रु0 (एक हजार दो सौ रु0) किराये पर लिया है। (अ कि वायफे ई) ५४६
2. यह कि आवासीय प्लाट नं0 -5, के किराये में पहली बार बढेतरी 25 प्रतिशत की 10 वर्ष के बाद स्वतः हो जायेगी। और इसी प्रकार 25 प्रतिशत की बढेतरी आगामी 10 वर्षों के बाद होगी जो केवल दो बार ही की जायेगी।
3. यह कि द्वितीय पक्ष आवंटित प्लाट का निर्माण प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता के मानचित्र के अनुसार ही करेगा।
4. यह कि प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता के आवंटित प्लाट नं0 -5, पर निर्माण कार्य आवंटित/ द्वितीय पक्ष द्वारा ही किया जायेगा। द्वितीय पक्ष को ऊपरी मंजिल बनाने की छुट होग जिसका कोई विवाद नहीं होगा।
5. यह कि उपरोक्त आवासीय प्लाट नं0-5 में, मकान आदि बनाने में जो व्यय आयेगा वह किरायेदारी में

225



Signature


Signature

Handwritten text in Hindi, possibly a signature or title.

Handwritten text in Hindi.

Handwritten text in Hindi.

Handwritten text in Hindi, including a signature.




Signature

37/211

Handwritten text in Hindi.

Handwritten text in Hindi.



6. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की परिभाषा में उनके वारिसान , एसाईनी, एक्जीक्यूटर और ट्रान्स्फरी भी सम्मिलत होंगे ।
7. यह कि किराये का भुगतान बिल प्राप्त होने पर प्रत्येक दशा में किया जायेगा । किराये का भुगतान समय पर ना किये जाने के कारण तथा किसी भी शर्त के उल्घन पर प्रदेश में प्रचलित कानून के अन्तर्गत कार्यावाही करने का प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता को अधिकार होगा ।
8. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की अनुमति के बिना सम्बन्धित आवासीय प्लॉट नं० - 5 की किरायेदारी किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।
9. यह कि द्वितीय पक्ष यदि अपने मरने तक किरायेदारी के अधिकारों के सम्बन्ध में अपने अधिकार में किसी व्यक्ति को लायेगा तो निश्चित रूप से प्रथम पक्ष उसका आदर करेगा ।
10. यह कि उपरोक्त आवासीय प्लॉट नं० - 5 पर निर्मित भवन में किसी भी प्रकार का आपत्ति जनक व क्षोभकार / व्यापार/ व्यवसाय करने की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी ।
11. यह कि द्वितीय पक्ष को आवासीय प्लॉट नं०-5 में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को निवास कराने का अधिकार रहेगा । और इस सम्बन्ध में परिवार की परिभाषा में किरायेदार उसकी पत्नी उसी की आय पर आधारित उसके माता पिता एवं उसके व्यस्क बच्चे होंगे । विवाहित पुत्री व उसका पति निश्चित रूप से किरायेदारी के सदस्य नहीं माने जायेंगे ।
12. यह कि उपरोक्त आवासीय प्लॉट नं०-5 के निर्मित भवन में विद्युत एवं जल आदि की सुविधा अपने व्यय पर द्वितीय पक्ष अपने नाम से ही लेगा । तथा जिसका भुगतान द्वितीय पक्ष को स्वयं ही करना होगा तथा अन्य कर जो भी नगर पंचायत नानौता/ सरकार द्वारा लगाये जायेंगे वह द्वितीय पक्ष को स्वयं ही उसका भुगतान करना होगा ।


 अधिकारी
 नगर पंचायत - नानौता
 सहरनपुर


 ११/५/१५

13. यह कि आवासीय प्लॉट नं 0-5 का किराया अनुबन्ध के निष्पादन की तिथि के पश्चात दिनांक 1.04.11 से देय हो जायेगा। जो 30 वर्ष (तीस वर्ष) तक प्रभावी होगा।

14. यह कि 30 वर्षों (तीस वर्षों) के बाद किराये में वृद्धि की जायेगी तो वह वृद्धि रजिस्टर्ड अभिलेख से ही की जायेगी।

अतः यह किराये नामा हम दोनों पक्षों ने अपने-2 स्वस्थ मस्तिष्क स्थिर बुद्धि व स्वेच्छा से खुब सोच समझकर लिख दिया की प्रमाण भरे काफी समय तक काम आवें।
सा 0 नोट पत्र नं 03

नगर पंचायत-नानौता
सहारनपुर

ह 0
[Signature]

ह 0 3
[Signature]

सा 0

अधिकासी अधिकारी
नगर पंचायत-नानौता
सहारनपुर

[Signature]

सा 0

[Signature]
Deed Writer
Licence No.-11
Teh.-Kamour Mau. (S.R.B.)

दिनांक-30.03.2011

टाईप कर्ता- पप्पू सिंह, कुराली

रचयिता:-

[Signature]
Omkar Sharma
Deed Writer
Licence No.-11
Teh.-Kamour Mau. (S.R.B.)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

89AL 076007

शपथ पत्र

समक्षः सक्षम अधिकारी जनपद सहारनपुर ।

शपथ पत्र और से:- इम्तियाज़ हुसैन पुत्र/पत्नी श्री किफायत हुसैन निवासी मोहल्ला छत्ता कस्बा नूनौला तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर ।

शपथकर्ता शपथपूर्वक ब्यान करता है:-

1. यह की मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही है ।
2. यह की मेरा मकान/दुकान/प्लाट दिल्ली रोड पर स्थित खसरा नंबर 1578 मे स्थित है ।
3. यह की मेरे द्वारा दिल्ली रोड पर स्थित मकान/दुकान/प्लाट नंबर 07 दिनांक 30/03/2011 को ^{मुद्रा पत्रावली-मिति} से क्रय किया गया था । जिसका बैनामा मेरे पास उपलब्ध है । जिसकी छायाप्रति संलग्न है ।
4. यह कि मैं पिछले 14 वर्षों से अपने मकान/दुकान पर काबिज़ हु । जब से मे अपने मकान / दुकान पर काबिज़ हु तब से यह भूमि समतल है और इस भूमि पर क्रय विक्रय हो रहे है ।
5. यह की मे अपनी दुकान का किरायानाम की रसीद समय अनुसार कट वा रहा हु उक्त दुकान मे साइकिल मिस्त्री का कार्य करता हु ।

यह की शपथ पत्र का पैरा 01 ता 05 सब सच व सही है मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है । ईश्वर सच बोलने मे मेरी मदद करे ।

Sworn / Verified Before Me
On the 30/3/23
G. SHAK KUMAR
Advocate & Notary
Civil Court Saharanpur (U.P.)

इम्तियाज़ हुसैन
ह० शपथकर्ता
इम्तियाज़ हुसैन

IDENTIFIED BY

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 52294

किराये का एग्रीमेन्ट।

हुसैन कोयाधितार
जोयाज, सहाहनपुर

नगर पंचायत नानौता जिला सहारनपुर द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नानौता जिला सहारनपुर। प्रथम पक्ष

इमत्याज हुसैन पुत्र श्री किफायत हुसैन निवासी मौ० छत्ता कस्बा व थाना नानौता तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष द्वारा खसरा नम्बर 1578 मि० स्थित मौ० शेखजादगान कस्बा नानौता निकट शोपिंग कम्प्लेक्स के दक्षिण में खाली आवासीय प्लॉट नं० 07 की किरायेदारी का आवंटन अनुबन्ध पत्र प्रथम बार दिनांक 30.03.2011 को श्री कबूल पुत्र श्री भुल्लन निवासी मौ० सरावज्ञान कस्बा व थाना नानौता तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर के नाम किया गया था। जिसकी किरायेदारी श्री कबूल पुत्र श्री भुल्लन निवासी मौ० सरावज्ञान कस्बा व थाना नानौता तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर ने अपनी स्वेच्छा से आवासीय प्लॉट नं० 07 की किरायेदारी का हस्तांतरण द्वितीय पक्ष इमत्याज हुसैन पुत्र श्री किफायत हुसैन निवासी मौ० छत्ता कस्बा व थाना नानौता तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर को कर दिया है। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष में किरायेदारी सम्बन्धी निम्न व्यवस्थायें तय पाई हैं और दोनों इन व्यवस्थाओं के पाबंद रहेंगे।

1. यह कि प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता के आवासीय प्लॉट नं० 07 जो 98 वर्ग गज है जिसका वार्षिक किराया 1200-00 रु० होगा। द्वितीय पक्ष प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में पूर्ण वर्ष का किराया अग्रिम जमा करेगा।

2. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की परिभाषा में उनके वारसान, एसाईनी, टून्सफरी एक्जीक्यूटर्स भी सम्मिलित होंगे।

कमश: 2 पर।

अधिशासी अधिकारी

यह कि उपरोक्त आवासीय प्लॉट नं० 07 की किराये में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी प्रथम बार दिनोंक 01.04.2011 से 10 वर्षों के बाद दिनोंक 01.04.2021 को स्वतः ही हो जायेगी और इसी प्रकार 25 प्रतिशत की किराये में बढ़ोतरी आगामी 10 वर्षों के बाद दिनोंक 01.04.2031 को स्वतः हो जायेगी। जो केवल 02 बार ही की जायेगी।

4 यह कि किराये का भुगतान समय पर न करने के कारण तथा अन्य किसी भी शर्त के उल्लंघन पर प्रदेश में प्रचलित कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता को होगा।

5 यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की अनुमति के बिना सम्बन्धित आवासीय प्लॉट नं० 07 की किरायेदारी किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेगा तथा आवंटित आवासीय प्लॉट नं० 07 में किसी प्रकार का निर्माण/स्ट्रक्चर/परिवर्तन भी करने का अधिकार नहीं होगा। जब तक कि प्रथम पक्ष की पूर्ण अनुमति प्राप्त न कर ली गयी हो।

6 यह कि द्वितीय पक्ष यदि अपने मरने तक किरायेदारी के अधिकारों के सम्बन्ध में अपने अधिकार में वसियत में किसी अन्य व्यक्ति को लायेगा तो निश्चित रूप से प्रथम पक्ष उसका आदर करेगा।

7 यह कि उपरोक्त आवासीय प्लॉट नं० 07 पर निर्मित भवन में किसी भी प्रकार का आपत्ति जनक व क्षोभकार/व्यापार करने की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी।

8 यह कि द्वितीय पक्ष आवासीय प्लॉट नं० 07 में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को व्यवसाय कराने का अधिकार रहेगा और इस सम्बन्ध में परिवार की परीभाषा में किरायेदार उसकी पत्नी और उसी की आय पर आधारित उसके माता पिता एवं उसके व्यस्क बच्चे होंगे। विवाहित पुत्री व उसका पति निश्चित रूप से किरायेदारी के सदस्य नहीं माने जायेंगे।

9 यह कि उपरोक्त आवासीय प्लॉट नं० 07 में विद्युत एवं जल आदि की सुविधा अपने व्यय पर द्वितीय पक्ष अपने नाम से ही लेगा तथा जिसका भुगतान द्वितीय पक्ष को स्वयं ही करना होगा तथा अन्य कर जो भी नगर पंचायत नानौता/सरकार द्वारा लगाये जायेंगे द्वितीय पक्ष को स्वयं ही उसका भुगतान करना होगा।

10 यह कि आवासीय प्लॉट नं० 07 की पुताई का खर्चा या अन्य व्यय द्वितीय पक्ष को स्वयं व्यय पर कराने होंगे परन्तु यदि कोई मरम्मत आदि होनी है तो द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को इस लिखित सूचना देगा व प्रथम पक्ष अपने व्यय पर जैसी भी स्थिति हो मरम्मत आदि करायेगा।

11 यह कि उक्त अनुबन्ध की शर्तों के साथ-साथ आवासीय प्लॉट नं० 07 की भूमि एवं भवन पूर्ण स्वामित्व नगर पंचायत नानौता का सदैव बना रहेगा।

12 यह कि आवासीय प्लॉट नं० 07 पर जो भी किराया/कर बकाया आदि होगा व द्वितीय पक्ष परसूल की जायेगी।

2/11/2011 5/1/11

अधिकारी अधिकारी

कमशः 3 फ

3. यह कि आवासीय प्लॉट नं. 07 का किराया प्रथम बार अनुबन्ध के निष्पादन दिनोंक 30.03.2011 के पश्चात दिनोंक 01.04.2011 से आगामी केवल 30 वर्षों तक प्रभावी होगा।

14. यह कि यदि दिनोंक 01.04.2011 से 30 वर्षों के बाद उक्त आवासीय प्लॉट नं0 07 का किरायेदारी में समय वृद्धि होगी तो वह समय वृद्धि प्रथम पक्ष की पूर्ण स्वीकृति के उपरान्त रजिस्ट्रार अभिलेख द्वारा ही की जायेगी।

अतः यह अनुबन्ध लिख दिया ताकि समय पर काम आये।

ह0

ह0

नगर पंचायत नानौता अधिशासी अधिकारी
द्वारा— अधिशासी अधिकारी पंचायत, नानौता
नगर पंचायत नानौता सहारनपुर
जिला सहारनपुर
..... प्रथम पक्ष।

इम्तियाज हुसैन पुत्र श्री किफायत हुसैन
निवासी मौ0 छत्ता कस्बा व थाना नानौता
तहसील रामपुर मनिहारान
जिला सहारनपुर..... द्वितीय पक्ष

दिनोंक 30.05.2013

इम्तियाज हुसैन

FORM No. 5

Book No.

Receipt

NAGAR PANCHAYAT, NANAUTA

Receipt No.

82

333

Demand Register No.

Received from

Rupees (in words)

On account of

Premises No.

for the period

In full/part payment of demand bill No.

Dated

नोट :- गृहकर/जलकर/जलमूल्य भुगतान की रसीद सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार का प्रमाण पत्र नहीं है इसका प्रयोग किसी भी न्यायालय में सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार के दावे के लिए नहीं किया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति इसका प्रयोग इस उद्देश्य में करता है तो यह स्वयं उत्तरदायी होगा।

Rs. 1500/-

Executive Officer/Secretary

Dated 23-06-2025

Cashier

Accountant

Amal
Tax Collector
Clerk Incharge of Demand
and Collection Register
Tax Superintendent

234

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

89AE 076005

शपथ पत्र

समक्ष:- सक्षम अधिकारी जनपद सहारनपुर ।

शपथ पत्र और से:- श्री रहीस पुत्र हनीफ निवासी मोहल्ला शेखजादगान कस्बा नानौता तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर ।

शपथकर्ता शपथपूर्वक ब्यान करता है:-

1. यह की मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही है ।
2. यह की मेरी दुकान दिल्ली रोड पर स्थित खसरा नंबर 1578 मे स्थित है ।
3. यह की मेरे द्वारा दिल्ली रोड पर स्थित दुकान नं० 15 दिनांक 18/03/21 को पुत्र से क्रय किया गया था । जिसका बैनामा मेरे पास उपलब्ध है । जिसकी छायाप्रति संलग्न है । जिसका मे बैनामा स्वामी हूँ ।

4. यह कि मैं पिछले 14 वर्षों से अपनी दुकान पर काबिज हु । जब से मे अपनी दुकान पर काबिज हु तब से यह भूमि समतल है और इस भूमि पर क्रय विक्रय हो रहे है ।

5. यह की मे अपनी दुकान की नगर पंचायत नानौता की रसीद संख्या समय अनुसार कटवा रहा हु उक्त दुकान मे फल का कार्य करता हूँ ।

यह की शपथ पत्र का पैरा 01 ता 05 सब सच व सही है मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है । ईश्वर सच बोलने मे मेरी मदद करे ।

दिनांक:-

ह० शपथकर्ता

IDENTIFIED BY

11
नाम/दि = 219/2021



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


42AE 105757

रजिस्ट्रार का दफ्तर
श. 1

नाम/दि
रजिस्ट्रार का दफ्तर
महानगर

क्र० सं० 13 दिनांक 18/3/21 घनराशि/०
 नाम...
 पता...
 धारते...

मी० परपिरा (स्टाम्प विक्रेता)
 लाईसेंस नं० 17/08-09
 स० रामपुर मनि०, सहरनपुर



नमबरो 219/2011/16

भारतीय नैऋत्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

₹.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

SARDAR A.K. Advocate
Reg. No. UP/09448/13

SARDAR A.K. Advocate
Reg. No. UP/09448/13

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
Ch No 30/10/24
Saharanpur Reg. (SRM.)
1258536



किराये का अनुबन्ध पत्र

नगर पंचायत नानौता तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर द्वारा अधिशासी बृजेन्द्र कुमार चौधरी, नगर पंचायत नानौता जिला सहारनपुर..... आधार नं०-6751 7031 1056 प्रथम पक्ष

रहीस पुत्र श्री हनीफ निवासी मौ० शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता तहसील मनिहारान जनपद सहारनपुर..... आधार कार्ड नं०- 5743 5769 द्वितीय पक्ष

यह कि द्वितीय पक्ष न प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता के खसरा नं० 1578म में शेखजादगान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अग्रशेष निर्मित व्यवसायिक दुकान नं० 01E 14.6x9.10 वर्ग फुट की है प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता से किराये पर ली है। प्रथम व द्वितीय पक्ष में किरायेदारी सम्बन्धित निम्न व्यवस्थाएं/शर्तें तय पाई हैं। व्यवस्थाओं/शर्तों के पाबन्द रहेंगे।

पडा..... यथार्थ प्रति
सुना.....

(1000x4-500=4500)

क्र० सं० ५ दिनांक 11/2/21 धनराशि 1000

नाम 210 पी. ए. ए.

पता 7/10

घर नं० 3128

मी० पराविश (स्टाम्प विक्रेता)

स्टाम्प नं०-17/08-09

न० रामपुर मनि०, सहारनपुर

2527

यह/हम प्रदान द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं
कि यह छायाप्रति मूल विलोख की सत्य
प्रतिलिपि है।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

1. यह कि प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता के द्वारा द्वितीय पक्ष को किराये पर एक व्यवसायिक दुकान नं० 01 E जिसका क्षेत्रफल 14.6x9.10 वर्ग फुट का है का किराया अंकन 1,000/- रु० प्रतिमाह है।
2. यह कि व्यवसायिक दुकान नं० 01 E के किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि प्रति वर्ष के बाद स्वतः हो जायेगी।
3. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में पूर्ण वर्ष का किराया जमा करना होगा तथा अप्रैल माह में अग्रिम जमा न करने पर 01 मई के बाद 12%/माह का ब्याज देय होगा यदि 6 माह तक किराया जमा नहीं किया है तो आवंटन निरस्त कर बकाया धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा।
4. यह कि किराये का भुगतान समय पर न करने के कारण तथा अन्य किराये के उलंघन करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

(B)

25/5

क्र० सं० ५ दिनांक 16/2/21 धनराशि 1000

मार्ग

पता

वास्तु

मौ० पर्यवेश (स्टाम्प विक्रेता)

लाइसेन्स नं०-17/08-09

त० रामपुर मनि०, सहारनपुर

आवेदन सं०: 2021007050013*2

पट्टा विलेख कम्प्लियन्सनामा

पृष्ठी सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 1116

वर्ष: 2021

प्रतिफल- 112000 स्टाम्प शुल्क- 4500 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 1120 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 1200

श्री रहीस

पुत्र श्री हत्तीफ

व्यवसाय : अन्य

निवासी : मौ० शेखजादगान कस्बा नानौता

25/21



वे यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/02/2021 एवं 12:42 27 PM बजे
निर्वाहन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनोद कुमार (प्रभारी)

उप निबंधक रामपुर मनिहारन

सहारनपुर

16/02/2021

रामपुर मनिहारन सहारनपुर लिपिक
निबंधक लिपिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

5. यह कि प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता की अनुमति के बिना द्वितीय पक्ष अपना किरायेदारी किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा जब तक प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता से उसकी पूर्ण स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाये। प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता व द्वितीय पक्ष की परिभाषा में उनके वारिसान पराइन उपकिरायेदारी/एकजीवधूटर्स भी सम्मिलित होंगे।
6. यह कि दुकान नं० 01 E में किसी भी प्रकार का प्रतिबन्धित व क्षोभकार/विपदा करने की अनुमति द्वितीय पक्ष को कदापि नहीं दी जायेगी।
7. यह कि दुकान नं० 01 E की किरायेदारी में कोई भी सिकमी किरायेदार मान्य नहीं होगा। यदि कोई भी सिकमी किरायेदार पाया गया तो आवंटन रद्द कर दिया जायेगा। अधिकार प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता के पास सुरक्षित होगा।

25/21



पु. वि. सं. 58/55

पु. सं. 4 दिनांक 14/2/21 धनराशि 1000

नाम

पता

धारा

मौ० परविश (स्टाम्प विक्रेता)

लाइसेन्स नं०-17/08-09

नं० रामपुर मनि०, सहारनपुर

आवेदन सं०: 202100705001372

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 1116

वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री न०प०ना०त०रा०मनि०जिलास०दाराअ०अ०वृजेन्द्र
कुमारचौधरी, पुत्र श्री विजय बादुर चौधरी

निवासी: रामनगर इटावा

व्यवसाय: अन्य

पट्टा गृहीता: 1



श्री रहीस, पुत्र श्री हनीफ

निवासी: मौ० शेखजादगान कस्बा नानौता

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1



श्री मौ० अनवार खान, पुत्र श्री इलियास खान

निवासी: मौ० छत्ता कस्बा नानौता

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- (A)
8. यह कि दुकान नं० 01 E में विद्युत जल आदि की सुविधा द्वितीय पक्ष स्वयं अपने व्यय पर अपने नाम से लेगा जिसका भुगतान द्वितीय पक्ष किरायेदार को करना होगा। तथा अन्य कर/शुल्क जो भी प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता/सरकार द्वारा लगाये जायेंगे उनका भुगतान द्वितीय पक्ष को ही करना होगा।
 9. यह कि दुकान नं० 01 E की पुताई का खर्चा या अन्य व्यय मरम्मत आदि का तो उसकी सूचना/स्वीकृति प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता से लेकर द्वितीय पक्ष को अपने व्यय पर ही करनी होगी एवं किसी प्रकार का स्थाई नवनिर्माण या परिवर्तन प्रतिबन्धित रहेगा।
 10. यह कि द्वितीय पक्ष अपने परिवार के किसी भी सदस्य को व्यवसाय करने से अधिकार होगा इस सम्बन्ध में परिवार की परिभाषा में किरायेदार उसकी माता पिता उसी की आय पर आधारित उसके माता पिता एवं उसकी बालिग संतान होगी।

(B)

2/11/21

पं. वि. सं. 58/59

क्र. सं. 4 दिनांक 14/2/21 धनराशि 1000

नाम

पता

राज्य

श्री सुभाष अली, पुत्र श्री निरंजन शर्मा
ला. सं. 10-17/08-09
निवासी: मी० चाहमंजलीका, रामपुर, सहारनपुर

व्यवसाय: बकालत




रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


... यिनोद कुमार (प्रभारी)

उप निबंधक : रामपुर मनिहारन
सहारनपुर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे
नियमानुसार लिए गए हैं।
दिखायी:

रामपुर मनिहारन सहारनपुर लिपिक
निबंधक लिपिक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

--(5)

11. यह कि शासन द्वारा समसमय पर निर्मित दुकानों के सम्बन्ध में प्रस्तावित योजना सम्बन्धी जो भी आदेश शासनादेश प्राप्त होंगे उनको द्वितीय पक्ष को स्वीकार करना अनिवार्य होगा। जिस पर द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
12. यह कि दुकान नं० 01 E की भूमि एवं भवन का पूरा स्थागित फलाना पंचायत नानाता का सदैव बना रहेगा। द्वितीय पक्ष का ऊपर से भूत/उपरांत कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। न ही द्वितीय पक्ष किराये भी दशा में उसका उपयोग करेगा।
13. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रीमियम/पगडी की धनराशि अंकन 5,60,000/- किराये में समायोजित नहीं की जायेगी। तथा पगडी/प्रीमियम की धनराशि ब्याज रहेगी जो किरायानामा पूर्ण होने के उपरान्त ब्याज के बिन द्वितीय पक्ष को दे दी जायेगी यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रीमियम/पगडी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

①

25/9/21

क्र० सं० १ दिनांक 16/2/9 धनराशि 100

नाम
पता
वासी



मि० सुरेश (स्टाम्प विक्रेता)
सार्किलर सं०-17/08-09
स० रायपुर मनि०, रायपुर



(6)

14. यह कि दुकान नं० 01 E का किराया अनुबन्ध पत्र के निष्पादन के दिनांक से प्रभावी हो जायेगा जो 29 वर्ष 11 माह 29 दिन तक प्रभावी रहेगा।

यह कि दुकान नं० 01 E का हद्द दर्जा इस प्रकार है
 पूरब में नगर पंचायत नानौता की सरकारी सड़क
 पश्चिम में नगर पंचायत नानौता की दुकान नं० 02 E
 उत्तर में खाली प्लाट दीगर व्यक्ति
 दक्षिण में चौक नगर पंचायत



(7)


अतः यह किरायेनामा हम दोनों पक्षों ने अपने-अपने स्वस्थ मस्तिष्क स्थिर बुद्धि एवं स्वेच्छा से सोच समझ कर लिख दिया। ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति

mmw

ह0

25/2/21

ह0



सा10

श्री० अणवार अणु डी० डी० लि० पाली/बारा
रि० श्री० सु० लाला का० गौरी



सा10

सु० लाला का० गौरी डी० डी० लि० पाली/बारा
-वा० लाला का० गौरी



दिनांक:-

15/2/21

रचयिता-सफदर अली एडवोकेट तहसील बारा एसोसिएशन, रामपुर मनिहारान

SAFDER ALI & Associates
Reg. No. L/113
Ch. No. 1/113
Wohell P. No. 1/113 (S.M.)
Mob. 9412493082

छाया प्रति का अग्रिम से

पृष्ठ संख्या 60

संख्या: 202100705001372

संख्या । जिल्द संख्या 3307 के पृष्ठ 123 से 144 तक क्रमांक
पर दिनांक 16/02/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनोद कुमार (पंभरी)

उप निबंधक - रामपुर अमिहारन

सहायपुर

16/02/2021



FORM No. 5

Receipt

NAGAR PANCHAYAT, NANAUTA



Book No.

333

Receipt No.

60

Demand Register No.

Received from

Rupees (in words)

On account of

Premises No.

for the period

In full/part payment of demand bill No.

Dated

नोट :- गृहकर/जलकर/जलमूल्य भुगतान की रसीद सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार का प्रमाण पत्र नहीं है इसका प्रयोग किसी भी न्यायालय में सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार के दावे के लिए नहीं किया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति इसका प्रयोग इस उद्देश्य में करता है तो यह स्वयं उत्तरदायी होगा।

Rs.

Dated

Cashier

Accountant

Executive Officer/Secretary

Tax Collector
Clerk Incharge of Demand
and Collection Register
Tax Superintendent

251



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

89AE 076023

शपथ पत्र

समस्त: सक्षम अधिकारी जनपद सहारनपुर।

शपथ पत्र ओर से:- श्रीमती फोजिया पत्नी श्री अमजद निवासी मोहल्ला शेखजादगान कस्बा

नानौता तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

शपथकर्ता शपथपूर्वक ब्यान करती है:-

1. यह की हमारा उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही है।
2. यह की हमारी एक मकान दिल्ली रोड पर स्थित खसरा नंबर 1578 मे स्थित है। जो मेरी निजी संपत्ति है जो मेने विनोद कुमार, सुरेन्द्र कुमार, बिलेंद्र कुमार, पुत्रगण स्व तिलकराम से खरीदी है
3. यह की मेरा मकान दिल्ली रोड पर स्थित मकान दिनांक 31-03-2023 मे बेनामा कराया जिसका कुल क्षेत्रफल 61.80 वर्ग मीटर जिसमे धरातल पर छपा रकबा 40.52 वर्ग मीटर तथा अवशेष खुला रकबा 24.94 वर्ग मीटर है जिसका बेनामा मेरे पास उपलब्ध है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। जिसका मे बेनामा स्वामी हूँ।
4. यह कि मे पिछले 2 वर्षों से अपने मकान पर काबिज हूँ। जब से मे अपने मकान पर काबिज हु तब से यह भूमि समतल है और इस भूमि पर क्रय विक्रय हो रहे है।
5. यह की मे अपनी मकान की नगर पंचायत नानौता की रसीद रसीद संख्या समयअनुसार कटवा रही हूँ

यह की शपथ पत्र का पैरा 01 ता 05 सब सच व सही है मेरे द्वारा कोई भी तथ्य

छिपाया नहीं गया है। ईश्वर सच बोलने मे मेरी मदद करे।

Sworn & Verified before
Reg. No. - 54923/25GULSHAN KUMAR
Advocate & Notary
Civil Court Saharanpur (U.P.)
दिनांक:- 21/11/23

IDENTIFIED BY

fozicia

ह० शपथकर्तागण

fozicia




INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh


e-Stamp

उत्तर प्रदेश सरकार
राज्य सरकार
बुध-शरीर-रावपुर पतिहास

Certificate No.	1940 : IN-UP74265904767554V
Certificate Issued Date	: 31-Mar-2023 12:47 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14105804/ SAHARANPUR/ UP-SHR
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1410580442235874934376V
Purchased by	: FOZIYA WO AMJAD
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: HOUSE AT MOH.SHEKJADGAN KASBA NANAUTA TEH. RAMPUR MANI.SRE
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: VINOD KUMAR SO TILAKRAM AND OTHERS
Second Party	: FOZIYA WO AMJAD
Stamp Duty Paid By	: FOZIYA WO AMJAD
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 61,000 (Sixty One Thousand only)



CERTIFICATE
Checked & Licensed




विनीत

विनीत

विनीत

foziya



-2-

विक्रय-पत्र: दस्तावेज पर चस्पा फोटो मेरे द्वारा जो कि प्रमाणित है।

1-बैनामा-4,50,000/-रु0

2-बाजारी कीमत-4,44,960/-रु0 कीमत आराजी तहती+5,67,280/-रु0 कीमत निर्माण आर0बी0सी0 द्वितीय श्रेणी लैन्टर=10,12,240/-रु0

(3)-विक्रय किया गया कुल क्षेत्रफल-61.80 वर्गमीटर जिसमे धरातल पर छपा रकबा 40.52 वर्गमीटर हैं तथा अंशेष खुला रकबा 24.94 वर्गमीटर है। तामिरा पुख्ता आर0बी0सी0 लैन्टर पोश द्वितीय श्रेणी। जिसमे समस्त फर्श सादे सीमेन्ट के है। निर्माण वर्ष-2007 ई0 का है।

4-सर्किल रेट प्रति वर्गमीटर-7200/-रु0 प्रतिवर्गमीटर अनुस्मर रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0-22 क्रम सं0 185 वी0 कोड नं0-0021 निर्माण रेट आर0बी0सी0 द्वितीय श्रेणी लैन्टर 14000/-रु0 प्रति वर्गमीटर

5-देय स्टाम्प-61,000/-रु0 महिला क्रेताणी होने के कारण शासन के द्वारा प्रदत्त छूट के उपरान्त 2 प्रतिशत नगर पंचायत विकास शुल्क सहित। जो ईस्टाम्प के रूप में अदा किया गया है। साथ संलग्न है।

6-विक्रीत मकान के सम्बंध एक इकरारनामा माहंदा बैय नही है।

वि.क्र.पत्र

ब.सं.कांटे-रा.सं.

पानहास

fozia





-3-

- 7-विक्रीत मकान का नक्शा साथ संलग्न है। जिसमें समस्त पैमाईश यथावत दी गयी है। जो बैनामा हाजा का एक अंग रहेगा।
- 8-विक्रीत मकान स्थित मौहल्ला शेखजादगान कस्बा नानौता परगना व तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर जो कि 11 फुट यानि 3:35 मीटर चौड़े रास्ते पर स्थित है। जिस पर कोई रोड सैगमेन्ट रेट प्रभावी नहीं है।
- 9-विक्रय विलेख में वर्णित सभी तथ्य विक्रेतागण एवं क्रेताणी द्वारा बताये गये विवरण पर आधारित है जिसमें कोई भी ऐसा तथ्य नहीं छिपाया गया है जिससे स्टाम्प देयता प्रभावित होती हो

हम कि:- **विनोद कुमार** पुत्र तिलकराम जाति गडरिया निवासी मौहल्ला सरावज्ञान कस्बा नानौता परगना व तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर आ0सं0 XXXXXXXX3466 पैन कार्ड सं0 ASHPV7465P मो0नं0 8449728919 व **सुरेन्द्र कुमार** पुत्र तिलकराम जाति गडरिया निवासी ग्राम फतेहपुर परगना व तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर आ0सं0 XXXXXXXX9622 पैन कार्ड सं0 PSNPS0905L व **बिलेन्द्र कुमार** पुत्र तिलकराम जाति गडरिया निवासी सन्तोष विहार कालोनी कस्बा नानौता परगना व तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर आ0सं0 XXXXXXXX8328 पैन कार्ड सं0 EJTPB8820H (विक्रेतागण)

जो कि प्रतिज्ञ निम्नलिखित सम्पत्ति का मैं प्रथम पक्ष (विक्रेता) पूर्ण स्वामी व अधिकार है। जो हर प्रकार के भार/रहन से मुक्त है जिसमें मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भागीदार किसी प्रकार नहीं है और जिसके विक्रय करने का मुझे पूर्ण स्वत्व अधिकार प्राप्त है जो हमारे पूर्ण रूपेण कब्जे व अधिकार में है। निम्नलिखित सम्पत्ति को केवल 4,50,000/-रूपये (चार लाख पचास हजार रूपये) है। जिसके आधे 2,25,000/-रूपये (दो लाख पच्चीस हजार रूपये) होते हैं।

विनोद

वि.क. सुरेन्द्र कुमार

बिलेन्द्र कुमार

108

-4-

बदस्त:-श्रीमती फोजिया पत्नी अमजद जाति रंगरेज पेशा गृहकार्य निवासी मौहलला शेखजादगान कस्बा नानौता परगना व तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर आ0सं0 XXXXXXXX1950 पैन कार्ड सं0 AGKPF4681N मो0नं0 8006454800 (क्रेताणी)

प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने द्वितीय पक्ष (क्रेता) को बिना कोई अधिकार व हकूक सुरक्षित रखे हुए विक्रय कर दी है व बेच दी और कुल विक्रय धन निम्नलिखित तौर पर प्राप्त कर लिया है और समस्त विक्रित सम्पत्ति पर कब्जा व दखल तथा पूर्ण अधिकार क्रेतागण को करा दिया है। अब मेरा या हमारे उत्तराधिकारियों या स्थानापन्नों का विक्रित सम्पत्ति या इसके धन से कोई सम्बन्ध शेष नहीं रहा और न भविष्य में होगा। यदि मेरे स्वत्व या अधिकार के अभाव के कारण या किसी भागीदार के उत्पन्न होने या अन्य किसी प्रकार के नुक्स कानूनी के कारण कुल विक्रित सम्पत्ति या उसका कुछ अंश क्रेतागण के कब्जा व अधिकार व मिलकियत से निकल जाये कब्जा न मिले, किसी भार के कारण जिसको मैंने स्पष्ट न किया हो या भार चुकता करना पड़े तो क्रेतागण को पूर्ण अधिकार है कि अपना कुल रूपया या उसका अंश मंय ब्योजि एवं हज खर्चा कानूनी इस सम्बन्ध में और जो कुछ भी हानि क्रेता को हुयी हो अथवा इस सम्बन्ध में व्यय क्रेता को करना पड़ा हो वह सब वह सब हमारे तथा उत्तराधिकारियों एवं स्थापन्नों से विक्रित सम्पत्ति व अन्य हर प्रकार की चल अचल सम्पत्ति व जात खास से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले। विक्रेता एवं उसके स्थानापन्न एवं उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति किसी प्रकार से नहीं होगी।

विवरण प्राप्ति विक्रय धन-

कुल विक्रय धन मु0 4,50,000/-रुपये हम विक्रेतागण ने क्रेताणी से द्वारा चैक सं0 748463 अंकन 1,50,000/-रु0 व चैक सं0 748464 अंकन 1,50,000/-रु0 व चैक सं0 748465 अंकन 1,50,000/-रु0 प्रत्येक चैक भारतीय स्टेट बैंक शाखा नानौता से प्राप्त कर लिये गये है। इस प्रकार कुल विक्रय धन मु0 4,50,000/-रु0 उपरोक्तानुसार प्राप्त कर लिया गया है।

-विवरण जायदाद मुबैया:-

मकान स्थित:-मौहल्ला शेखजादगान कस्बा नानौता परगना व तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर जो कि 11 फुट यानि 3.35 मीटर चौड़े रास्ते पर स्थित है। जिस पर कोई रोड सैगमेन्ट रेट प्रभावी नहीं है।

विनोद

श्रीमती फोजिया

11/11/2012

fozia

3/31/23, 1:35 PM

आवेदन सं०: 202300705002416

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 1940

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 450000 स्टाम्प शुल्क- 61000 बाजारी मूल्य - 1013000 पंजीकरण शुल्क - 10130 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 10190

श्रीमती फोजिया,

पत्नी श्री अमजद

व्यवसाय : गृहिणी

निवासी: निवासी मौहल्ला शेखजादगान कस्बा नानौता जिला सहारनपुर आ0सं0
XXXXXXXX1950ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 31/03/2023 एवं 01:34:31 PM बजे
निबधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रमणकं त्यागी प्रे

उप निबंधक : रामपुर मनिहारन

सहारनपुर

31/03/2023

रामपुर मनिहारन सहारनपुर

निबंधक लिपिक

31/03/2023

प्रिंट करें

-5-

दरोबरस्त एक किता आवासीय मकान पूरब मुहाना जिसकी पैमाईश जानिब पूरब 15 फुट 10 इन्च व जानिब पश्चिम 15 फुट 10 इन्च व जानिब उत्तर 42 फुट व जानिब दक्षिण 42 फुट है। जिसका कुल विक्रीत क्षेत्रफल 61.80 वर्गमीटर है जिसमे जानिब पश्चिम एक कमरा पूरब मुहाना बना है जिसकी पैमाईश 15 फुट 10 इंच X 10 फुट का बना है व एक कीचन व एक बाथरूम व एक टॉयलेट बनी है। जिनके सामने खुला सहन है व एक कमरा जानिब पूरब व पश्चिम मुहाना बना है। जिसकी पैमाईश 10 फुट 10 इन्च X 10 फुट का बना है व एक गैलरी बनी है। जिसकी पैमाईश 10 फुट X 5 फुट बनी है। इस प्रकार धरातल पर कुल छपा रकबा 40.52 वर्गमीटर है। जो आर0बी0सी0 द्वितीय श्रेणी का बना हुआ है। अवशेष खुला रकबा 24.94 वर्गमीटर है। प्रथम तल पर कोई निर्माण किसी भी प्रकार का नहीं है। मकान का निर्माण वर्ष 2007 ई0 का है। तामिरा पुख्ता लैण्टर पोश द्वितीय श्रेणी। जिसमें समस्त फर्श सादे सीमेन्ट के है। मय छत ऊपरी। मय सरदरबाजू मय किवाडान आदि। मकान का नक्शा साथ संलग्न है। जिसमे समस्त पैमाईश यथावत दी गयी है। जो बैनामा हाजा का एक अंग है। मय जुमले हक हकूक हर एक प्रकार बाबत जायदाद उपरोक्त।

महदूदा जैल हदूदरबा:-

पूरब-रास्ता 11 फुट यानि 3.35 मीटर चौडा,

पश्चिम-सम्पत्ति टाउन एरिया,

उत्तर-मकान शमीम अहमद,

दक्षिण-मकान अकमल,

विक्रीत सम्पत्ति हम विक्रेतागण की पैतृक एवं जरखरीद द्वारा बैनामा इकरारी:-अमरनाथ व प्रेमचन्द पुत्रगण बरकत राम निवासी मौहल्ला छत्ता कस्बा नानौता परगना व तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर दिनांकी 02.02.2007 ई0 से है। जिसकी रजि0 का इन्द्राज बही नं0 1 जिल्द सं0 33 के पृष्ठ सं0 701 से 714 क्रमांक नं0 1463 दिनांकी 02.02.2007 ई0 रजि0 देवबन्द दर्ज है और इसी हैसियत से विक्रय की गयी है।

फि अरुदुल मुगा

विणोय

फि अरुदुल मुगा

foziya

259

पुष्टि क्रि.सं. 58/59

आवेदन सं०: 202300705002416

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 1940

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्री विनोद कुमार, पुत्र श्री तिलकराम

निवासी: निवासी मौहल्ला सरावजान कस्बा नानौता जिला
सहारनपुर आ०सं० XXXXXXXX3466

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 2

विनोद



श्री सुरेन्द्र कुमार, पुत्र श्री तिलकराम

निवासी: ग्राम फतेहपुर जिला सहारनपुर आ०सं०
XXXXXXXX9622

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 3



श्री विलेन्द्र कुमार, पुत्र श्री तिलकराम

निवासी: निवासी सन्तोष विहार कालोनी कस्बा नानौता
जिला सहारनपुर आ०सं० XXXXXXXX8328

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

विलेन्द्र




श्रीमती फोजिया, पत्नी श्री अमजद

निवासी: निवासी मौहल्ला शेखजादगान कस्बा नानौता जिला
सहारनपुर आ०सं० XXXXXXXX1950

व्यवसाय: गृहिणी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

फोजिया



-6-

मकान मुबैया पर कब्जा क्रेताणी का मौके पर बखूबी मालिकाना तौर पर करा दिया गया है। विक्रीत मकान हर प्रकार के ऋण भार एवं विवाद आदि से मुक्त एवं स्वच्छ है जिसके सम्बंध में कोई विवाद किसी भी प्रकार का किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है। अब क्रेताणी को मकान मुबैया की बाबत समस्त अधिकार मालिकाना व बैय रहन आदि एक प्रकार हासिल हो गये हैं और हम विक्रेताण व हमारे वारसान का कोई ताल्लूक या वास्ता किसी भी प्रकार का विक्रीत मकान से नहीं रहा है।

हम घोषणा करते हैं कि ऐसे सभी तथ्य एवं परिस्थितियां जिनसे स्टाम्प देयता प्रभावित हो सकती है। पूर्णतया सत्यता पूर्वक अंकित किये गये हैं तथा दस्तावेज हाजिं विक्रेतागण एवं क्रेताणी के स्वेच्छानुसार एवं कथनानुसार तहरीर करायी गयी है।

नोट:-हम पक्षकार घोषणा करते हैं कि विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कोई इकरारनामा इससे पूर्व नहीं किया है। सम्पत्ति सम्बन्धित किसी प्रकार का वाद/न्यायालय में विचाराधीन तथा हर प्रकार के भार/रहन/बैंक ऋण से मुक्त है। यह सम्पत्ति किसी भी प्रकार की राजकीय सम्पत्ति तालाब, गोचर, धर्मस्थल, शमशान या कब्रिस्तान, शत्रु सम्पत्ति, ग्राम समाज, कस्टोडियन या अवैध सम्पत्ति नहीं है। जिसको अन्तरित करने का प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर प्रकार से प्राप्त है। कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर उभय पक्ष जिम्मेदार होंगे।

नोट-यह कि विक्रीत मकान की जानिब पश्चिम की दीवार विक्रय से मुक्त है। यानि पश्चिम दिशा की दीवार अकमल खान पुत्र अकबर खान की है।

विनाय

विनाय

विनाय

fozia